कुरुक्षेत्र

मई 1984 मूल्य 1.50 रु.

ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आशा की नई किरण

संपादकीय

2000 तक गरीबी निवारण सुशिक्षितों और समृद्धों के योग से निश्चित ही संभव

आज देश की जैसी भी स्थिति है, उसके लिए सम्पन्न और सुशिक्षित लोग पूरी तरह जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। अब से पहले जब-जब देश यदि उन्नति के शिखर पर पहुंचा या उसने अवनति की उसके लिए भी ये ही लोग जिम्मेदार रहे हैं। क्योंकि संसाधनों का स्वामित्व, नियोजन, नियंत्रण और संचालन तथा वस्तुओं, सेवाओं का वितरण, नियंत्रण संचालन उन्हीं के हाथों में था और है। चाहे वे सरकार में हों या अन्य किसी संगठन या संस्था में।

जहां और जिस समय इनके द्वारा त्याग, सेवा और निष्ठा की भावना से काम हुआ वहां उसी समय जमीन पर स्वर्ग उतर आया और जहां-जहां तथा जब-जब वे स्वार्थपरता में फंसे रहे तहां-तहां तब-तब साक्षात नर्क के दर्शन हुए। सोचने वाली बात है आज निर्धन जो हैं वे क्यों निर्धन हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। अशिक्षा और अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यह अशिक्षा जब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि सुशिक्षित और सम्पन्न लोग तन-मन-धन से कटिबद्ध होकर इसके लिए कार्य नहीं करते।

अधिक जनसंख्या भी गरीबी का एक दूसरा तगड़ा कारण है। अधिक जनसंख्या का अशिक्षा और गरीबी से गहरा संबंध है। जब आदमी लिख पढ़ जाता है, नियमित रूप से रोजी कमाने लगता है और उसका एक जीवन स्तर बन जाता है तो वह स्वयं अपने कुटुम्ब को सीमित रखने की बात सोचने लगता है। जैसा कि देखा जा सकता है सभी सुशिक्षित लोग सीमित परिवार अपना रहे हैं जबकि अशिक्षित अज्ञान और निर्धन अंध-विश्वासों में डूबे उसका कम ही ध्यान कर पाते हैं। अतः गरीब लोगों को शिक्षा और ज्ञान के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध करने का सवाल अति महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में सर्वप्रमुख भूमिका सम्पन्न और सुशिक्षित लोगों की ही है। उन्हीं को इसके लिए साधन जुटाने हैं।

सरकार भी सुशिक्षित लोगों का एक अंग है। सरकार की ओर से ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वे दुनिया में अपने आप में सर्वोत्कृष्ट हैं। किसी भी अन्य देश ने और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी विशिष्ट एजेंसी ने किसी ऐसी व्यापक और संतोषजनक पहल का सूत्रपात किया है जो देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करते हुए ग्रामीण गरीबों की सर्वमान्य जरूरतों को पूरा कर सके। किन्तु इस देश की सरकार ने निश्चय तथा ईमानदारी से प्रयत्न किए हैं। कुछ सफलता भी मिली है।

हाल के प्रयासों में ग्रामीण गरीबों तक विभिन्न मदों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सीधी पहुंच की गई है। मुख्य रूप से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को रोजगार उत्पादक और आयवर्धक, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा-सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम जैसी योजनाओं से सम्बद्ध किया गया है जिनमें विभिन्नताओं से पूर्ण भारत जैसे देश में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढाले जाने की क्षमता है। ऐसी आशा की जाती है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का प्रतिशत जो 1980 में लगभग 51 था वह छठी योजना के अन्त तक घट कर 44 रह जायेगा। अन्य आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भी स्थिति में सुधार होगा और यह प्रतिशत घटकर 35 तक आ जाने की आशा की जा सकती है।

एक आकलन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के दृष्टिगत इस शताब्दी की समाप्ति से पहले, आय उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके उत्पादक-साधन निर्माण के जरिए गरीबी खत्म करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये से ऊपर धनराशि की आवश्यकता का अंदाजा है। प्रश्न यह है कि क्या 1986-2000 के दौरान यह धनराशि जुटाई जा सकेगी? यह भी इसी से संबद्ध प्रश्न है कि क्या हमारा प्रशासनिक तंत्र और संगठनात्मक प्रणाली इतना विशाल नियोग करने में क्षम सिद्ध होगी और लक्ष्य (गरीब) सहित सारी की सारी प्रणाली इसका सदुपयोग कर सकेगी?

देश के सम्पन्न लोग इस विशाल तथा आवश्यक नियोग में योग देकर सरकार के हाथ मजबूत कर सकते हैं और सुशिक्षित लोग हर स्तर पर अपनी ईमानदारी और निष्ठा तथा कर्तव्य-परायणता से निश्चय ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। □

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष '29 | **वैशाख-ज्येष्ठ 1906** | **अंक 7**

इस अंक में — **पृष्ठ संख्या**

ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2

ग्राम्य विकास में प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की भूमिका 4

कैलाश चन्द्र भारद्वाज एवं हरीश बड़थ्वाल

हम दो और हमारे दो (कविता) 5

बृज अभिलाषी

महिलाओं के लिए वरदान—जनता बायोगैस संयंत्र 6

ओमप्रकाश मिश्र

गर्मी में (कविता) 7

जगदीश चन्द्र शर्मा

निराश्रितों का सहारा—जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 8

प्रभात कुमार सिंघल

गोबर गैस संयंत्र के उचित रख-रखाव से अधिक लाभ उठाइए 10

राजेन्द्र प्रसाद

कल्लर भूमि धन उपजाए 12

सुभाष चन्द्र "सत्य"

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—मासिक रिपोर्ट 15

विकलांग बाँकसिंह की करुण कहानी 16

भूरचन्द जैन

दरिद्रता से सम्पन्नता की ओर 19

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 20

रवि कुमार भोला

ग्रामीण युवकों की स्व:रोजगार योजना—ट्राइसेम 22

नन्द कुमार जौहरी

वस्तर में नारियल की खेती 24

डा० बृजभूषण सिंह आदर्श

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं ग्रामीण विकास 25

आर० सी० भटनागर

विलासपुर जिले में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 27

के० एल० जैन

पंचायत राज - (कविता) 28

बलवन्त सिंह हाड़ा

केला खाइए सेहत बनाइए 29

ललन कुमार प्रसाद

केन्द्र के समाचार 31

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०

वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा

सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक

सहायक निदेशक (उत्पादन) : के० आर० कृष्णन

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

ग्रामीण भूमिहीनों के लिए

रोजगार गारंटी कार्यक्रम

छठी पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी में क्रमिकरूप से कमी करना है। उसी के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुलभ करने तथा निर्धनता को कम करने हेतु अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं शुरू की गई हैं।

कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण निर्धनता का, विशेषकर कम रोजगार वाली कृषि अवधियों, जब काम मिलना कठिन होता है, के दौरान भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अधिक प्रत्यक्ष तथा विशेष ढंग से सामना करना होगा। तदनुसार, "ग्रामीण भूमि हीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम" नामक एक नई योजना तत्काल कार्यान्वित की जा रही है।

उद्देश्य

कार्यक्रम के निम्नलिखित दो प्रमुख उद्देश्य हैं : (1) प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार की गारण्टी सुलभ करने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाना तथा उनमें वृद्धि करना तथा (2) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना, जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा।

रोजगार में भूमिहीन श्रमिकों को वरीयता

चूंकि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक का रोजगार सुलभ करना है अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार हेतु वरीयता दी जाएगी।

कार्यक्रम को चलाने की अवधि

यद्यपि ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को वर्ष की किसी भी अवधि में निष्पादन हेतु शुरू किया जा सकता है फिर भी, कम रोजगार वाली कृषि अवधियों में श्रम-प्रधान कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों को और अधिक कारगर बनाया जा रहा है। गरीबी का मुख्यतः ऐसे भूमिहीनों से सीधा सम्बन्ध है, जिन्हें खेती के खाली समय में कोई और दूसरा काम नहीं मिलता। इसके लिए प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को हर साल सौ दिन का रोजगार अवश्य उपलब्ध करने की योजना है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार की गारण्टी है और इसे गति से तुरन्त लागू किया जा रहा है।

वित्तीय साधन और स्वरूप

इस कार्यक्रम के लिए 1983-84 में सौ करोड़ तथा 1984-85 में 500 करोड़ रुपयों की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप 1983-84 में 6 करोड़ तथा 1984-85 में 30 करोड़ श्रम-दिवसों के रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जाएगी। राज्य सरकारों को दी जाने वाली धनराशि की वही व्यवस्था होगी जसी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में निर्धारित है : (1) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों के लिए 75 प्रतिशत धनराशि तथा (2) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में गरीब और साधनहीनों के लिए 25 प्रतिशत धनराशि। राज्य सरकार निश्चित किए गए आवंटन में से विशिष्ट परियोजनाएं तैयार कर सकती है। यद्यपि केन्द्रीय सहायता का आवंटन केन्द्रीय समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर होगा।

राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्र प्रशासनों को धनराशि आवंटन की प्रक्रिया

राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से बनाई गई और केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई योजनाओं के लिए ही धन दिया जाएगा। ये योजनाएं विशेष रूप से पिछड़े और दूर-दराज इलाकों, जहां भूमिहीन मजदूर काफी बड़ी संख्या में हैं, में चलाई जाएंगी।

निर्माण कार्य

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्य जो अन्ततः बीस सूत्री कार्यक्रम के अंग बन सकें, चालू किए जाएंगे यथा —

1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में ग्रामीण-सम्पर्क सड़कों का निर्माण;
2. बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा उपलब्ध जलराशि के बेहतर उपयोग के लिए सिंचाई की नालियां बनाना;
3. पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों में पर्यावरण सुधार का विशिष्ट ध्यान रखते हुए बेकार और खराब जमीन को कृषि योग्य बनाना तथा भूमि विकास;
4. सामाजिक वानिकी; और
5. लघु सिंचाई परियोजनाओं में सुधार लाने के साथ-साथ भूमि तथा जल-संरक्षण।

कार्य-परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

कार्य की परियोजनाएं तैयार करते समय राज्य सरकार इस प्रकार की प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी निर्दिष्ट कर सकती है। राज्य में विभिन्न कार्य परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यान्वयन एजेंसियां हो सकती हैं। किसी एक जिले के लिए सीमित कार्य परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्रयोग कर सकती है। राज्य सरकार को ऐसे निर्माण कार्यों के लिए किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी को भी नामित करने की छूट होगी। संस्वीकृत कार्य परियोजनाओं की आयोजना तैयार करने, पर्यवेक्षण करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार का समग्र दायित्व होगा।

केन्द्रीय समिति

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए गठित वर्तमान केन्द्रीय समिति इस कार्यक्रम (ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम) के लिए केन्द्रीय समिति के रूप में भी कार्य करेगी। यह समिति राज्यों द्वारा तैयार की गई विशिष्ट कार्य परियोजनाओं को स्वीकृत करने और परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने/उन पर निगरानी रखने तथा समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए उत्तरदायी होगी।

राज्य स्तरीय समिति

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की आयोजना कार्यान्वयन तथा निगरानी आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की होगी। इसे समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करना होगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विस्तृत पुनरीक्षा करने के लिए समिति की तीन माह में एक बार बैठक अवश्य बुलाई जाएगी। समिति की बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को नियमित रूप से अग्रेसित करनी होंगी।

मजदूरी तथा गैर-मजदूरी घटक

परियोजना में मजदूरी घटक परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। परियोजना में गैर-मजदूरी घटक के लिए 50 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग किया जा सकता है जिसमें सामग्री की लागत, प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण व्यय, खाद्यान्नों को ढोने की लागत आदि शामिल हैं।

राज्य सरकार को गैर-मजदूरी घटक की इस सीमा को बढ़ाने की छूट है बशर्ते कि 50 प्रतिशत के ऊपर इस घटक की अतिरिक्त लागत को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलभ की गई निधियों के अलावा अन्य निधियों जैसे अन्य राज्य निधियों, दान और मण्डी समितियों एवं सहभारी सोसायटियों आदि जैसे संगठनों से उपलब्ध हुई निधियों में से पूरा किया जाए।

कल्याणकारी उपाय

परियोजना के अन्तर्गत नियोजित किए जाने वाले मजदूरों के लिए परिकल्पित कल्याणकारी उपायों को भी परियोजना प्रस्ताव में दर्शाया जाएगा। पेयजल, प्राथमिक उपचार, शिशु केन्द्र, विशेषतौर पर महिला मजदूरों के लिए विश्राम शेड आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार की सुविधाओं का ब्यौरा तथा उन पर होने वाला व्यय भी दर्शाया जाएगा। इन सुविधाओं पर होने वाला व्यय गैर-मजदूरी घटक का भाग होगा।

आंशिक मजदूरी अनाज के रूप में

इस कार्यक्रम के अन्तगत मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप से खाद्यान्नों में तथा आंशिक रूप से नकदी में किया जाएगा। आंशिक मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम खाद्यान्नों के रूप में तथा शेष भुगतान नकदी में किया जाएगा। जहां किसी कारण से मजदूरी के खाद्यान्न घटक का भुगतान खाद्यान्नों में करना संभव न हो तो पूरी मजदूरी का भुगतान नकदी में किया जाना चाहिए। मजदूरों को मजदूरी की अदायगी शीघ्र की जानी चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसी इस कार्य के लिए विशेषतौर पर उत्तरदायी बनाई जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा अकुशल कार्य के लिए मजदूरी की अदायगी कार्यभार को देखते हुए इस तरह की जाएगी कि कुशल मजदूर को उनके लिए निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मजदूरी प्राप्त हो जाए।

कुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी वह होगी, जो या तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन उस कार्य के लिए निर्धारित की गई है अथवा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, वन आदि विभागों द्वारा निर्धारित की गई है।

ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए किसी बिचौलिए अथवा किसी बिचौलिया एजेंसी को नहीं लगाया जाना चहिए ताकि भुगतान की जाने वाली मजदूरी के पूरे लाभ मजदूरों को पहुंचे और परियोजना की लागत में इस प्रकार के ठेकेदारों, बिचौलियों अथवा एजेंसी को दिए जाने वाले कमीशन के कारण वृद्धि न हो।

मजदूरी और निर्माण सामग्री का अनुपात

स्थायी परिसम्पत्ति बनाने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल खर्च (प्रशासनिक और अन्य लागत सहित) के 50 प्रतिशत तक की धनराशि निर्माण-सामग्री पर लगाई जा सकती है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित धनराशि का 5 प्रतिशत तक कर्मचारियों पर खर्च कर सकती है।

हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को सौ दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में यह नया कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। इस नए कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं बनाने और धनराशि का प्रावधान करने का काम समय साध्य है। 1983–84 में इस कार्यक्रम पर सौ करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इसलिए वर्ष 1983–84 में सौ करोड़ रुपयों की ही व्यवस्था की जा रही है। 1984–85 में यह कार्यक्रम सुचारु रूप से चलने लगेगा। अत: उस वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। □

ग्राम्य विकास में प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की भूमिका

कैलाश चन्द भारद्वाज एवं हरीश बड़थ्वाल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थापना मुख्यत: कृषि क्षेत्र में शोध कार्य के लिए की गई है। किन्तु परिषद् इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थी कि शोध कार्य तभी सफल माना जाएगा जब उन्नत तकनीक विभिन्न वर्गों के किसानों, कारीगरों, छोटे यंत्र निर्माताओं और अन्य कृषि कर्मियों तक पहुंचे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन आज 34 अनुसंधान संस्थान व केन्द्र हैं जो कृषि के विभिन्न विषयों के शोध में लगे हुए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रणालियों की सहायता से प्रायोगिक तथा प्रदर्शनकारी खेतों में औसत से 5–6 गुना उपज प्राप्त कर ली है। अब ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि इतनी ही उपज साधारण खेतों में ली जा सके।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रसार कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। प्रसार कार्य तभी सफल होगा जब कृषि शोध कार्य का लाभ किसानों व अन्य संबंधित व्यक्तियों को सुलभ हो सकेगा। प्राय: यह देखा गया है कि प्रसारकर्ता किसानों का विश्वास इस स्तर तक नहीं ले पाए हैं कि नई प्रौद्योगिकी को वे सहज ही अपना सकें। इसका मुख्य कारण है समुचित संप्रेषण पद्धति का अभाव। इस कमी को पूरा करने के लिए परिषद् ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है ताकि प्रसारकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर सही प्रशिक्षण दिया जा सके।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (प्र० प्र० के०) मुख्यतया परिषद् के संस्थानों के प्रशिक्षकों को नई व विकसित तकनीकों व खोजों से जानकार रखने की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये केन्द्र राज्यों व अन्य संगठनों के प्रसारकर्मियों को भी यथावश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अभी तक परिषद् के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं:—

(1) अंत: स्थलीय मत्स्य पालन—धोली, जिला पुरी (उड़ीसा) में, केन्द्रीय अंत: स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर प० बंगाल के अधीन।

(2) शुष्क भूमि में खेती—शुष्क भूमि की खेती हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, हैदराबाद के अधीन।

(3) बागवानी—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के अधीन।

(4) पशुपालन—राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के अधीन।

(5) कृषि इंजीनियरी विषयों पर—केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल के अधीन।

(6) सभी विषयों पर (महिलाओं हेतु)—कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर के अधीन।

(7) सभी विषयों पर (महिलाओं हेतु) झरनापानी (नगालैंड) में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के शिलांग (मेघालय) अनुसंधान परिक्षेत्र के अधीन।

कृषि इंजीनियरी विषय में केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान के अंतर्गत जनवरी 1981 से, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र ने अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कीं। अभी तक इस केन्द्र द्वारा विभिन्न स्तर के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य हैं:—

(1) परिषद् के प्रसार एकक:—कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशिक्षकों के लिए समुचित प्रशिक्षण आयोजित करना ताकि वे विभिन्न शोध कार्यों व तकनीकों का लाभ किसानों तक पहुंचा सकें।

(2) अन्य सेवारत कर्मियों यथा राज्य सरकार या विभिन्न कृषि संगठनों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन करना तथा उन्हें कृषि इंजीनियरी के क्षेत्र में हुई प्रगति से परिचित कराना तथा इसके लाभों को वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के प्रयास करना।

(3) कृषि विद्यालयों के व्यावसायिक/कृषि अध्यापकों के लिए कृषि इंजीनियरी पर प्रशिक्षण आयोजित करना।

(4) पोलीटेकनिकों के प्राध्यापकों हेतु कृषि इंजीनियरी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(5) श्रव्य-दृश्य साधनों (ए० वी० एड्स) पर विभिन्न प्रसारकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि इन साधनों द्वारा प्रसार कार्य को अधिक कारगर बनाया जा सके।

(6) कृषि इंजीनियरी में हो रही खोजों संबंधी साहित्य का संकलन करना तथा इच्छुक व्यक्तियों के प्रयोग हेतु उन्हें उपलब्ध कराना।

(7) कम लागत वाली श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना ताकि संस्थान से बाहर भी इनका प्रयोग व्यापक तौर पर किया जा सके।

कृषि इंजीनियरी के विभिन्न पक्षों पर केन्द्र ने सितम्बर 1983 तक पिछले ढाई

वर्षों में 32 कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए गए जिनमें 328 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया । संस्थान से बाहर चलाए गए प्रशिक्षण शिविर इसके अतिरिक्त हैं । ये प्रशिक्षण मुख्यतया कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के विषय-विशेषज्ञ, व्यावसायिक स्कूलों के अध्यापक, पोलीटेकनिक संस्थानों के प्राध्यापक, राज्य सरकार के कृषि इंजीनियर, भारतीय स्टेट फार्म विकास निगम के सहायक इंजीनियर, चार्जमेन व फोरमेन तथा राज्य सरकार के श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रचालक वर्गों के लिए चलाए गए । विषय तथा प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता व सुविधा को देखते हुए इन प्रशिक्षणों की अवधि सामान्य तौर पर 5 से 20 दिन रखी गई।

प्रशिक्षण प्रक्रिया

प्रशिक्षणार्थियों को प्रदत्त प्रशिक्षण की उपादेयता का आकलन करने हेतु प्रशिक्षण के आरम्भ में ही, संबद्ध विषय पर लिखित रूप में कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं ताकि उस विषय में उनकी जानकारी का अनुमान हो सके । प्रशिक्षण के उपरांत प्रश्नावली के माध्यम से उनकी जानकारी का स्तर देखा जाता है। जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संशोधन भी किया जाता है । संपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान पाठ्य सामग्री व व्यावहारिक कार्य का अनुपात 40 : 60 रखा जाता है । प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी रखा जाए या अंग्रेजी यह प्रशिक्षणार्थियों के स्वरूप पर निर्भर करता है । पाठ्य सामग्री को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न श्रव्य-दृश्य उपकरणों जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड टेप सीक्वेंस, एपिडायस्कोप, वास्तविक माडल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थियों की व्यावहारिक सूझबूझ बढ़ाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं अपने हाथ से कृषि कार्य करवाए जाते हैं ताकि उन्हें उन्नत यंत्रों व उपकरणों के प्रचालन आदि का भलीभांति ज्ञान हो सके । इससे प्रशिक्षणार्थियों में आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है साथ ही किसानों के समक्ष वे सफलतापूर्वक ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं । प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न विषयों पर पुस्तिका रूप में या अन्यथा लिखित सामग्री वितरित की जाती है ताकि भविष्य में भी वे इसका लाभ उठा सकें।

केन्द्र द्वारा आवश्यकता को देखते हुए संगठनों के अनुरोध पर प्रसारकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त संस्थान के बाहर भी केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं । केन्द्र में न केवल राज्य से, बल्कि पूरे देश से प्रशिक्षणार्थी भाग लेने के लिए आते हैं ।

प्रशिक्षण का लाभ प्रशिक्षणार्थियों को लंबे समय तक मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों से बाद में भी संपर्क रखा जाता है ताकि वे अपनी कृषि-इंजीनियरी संबंधी कठिनाइयों का समाधान कर सकें । किसी संस्था द्वारा कृषि इंजीनियरी संबंधी विषय के प्रशिक्षण में आवश्यकता अनुभव किए जाने पर भी केन्द्र द्वारा व्यवस्था की जाती है । केन्द्र समय-समय पर प्रशिक्षणार्थियों हेतु कृषि संबंधी पुस्तिकाएं प्रकाशित करने की योजना भी तैयार करता है । अभी तक ट्रैक्टर तथा थ्रेशर पर कुछ पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं । □

वरिष्ठ वैज्ञानिक व
वरिष्ठ सूचना सहायक,
केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल

हम दो और हमारे दो

हम दो और हमारे दो,
नन्हें मुन्ने प्यारे दो ।
दो से ज्यादा हुए अगर तो,
रोएंगे बेचारे वो ।
हम दो ————

किसने बताए ज्यादा बच्चे,
जितने कम हों उतने अच्छे ।
ज्यादा होंगे चोर उचक्के,
कम हो बनेंगे नागरिक अच्छे ।
जग की आंख के तारे दो,
हम दो ————

भेदभाव की बात न होगी ,
नयनों से बरसात न होगी ।
जाग-जाग कर पड़े काटनी,
ऐसी कोई रात न होगी ।
दूर करो अंधियारे को,
हम दो ————

कम होंगे तो प्यार बढ़ेगा ,
सदा सुखी परिवार रहेगा ।
सब सुविधाएं मिल जाएंगी ,
गर सीमित परिवार रहेगा ।
सबके काज संवारें दो,
हम दो ————

इसी तरह से बढ़ते रहे तो,
घनी आबादी हो जाएगी ।
कौन, किसे बरबाद करेगा,
खुद बरबादी हो जाएगी
अभी न सोचा प्यारे जो,
हम दो और हमारे दो ।

बृज अभिलाषी
122, रोगन ग्रान,
देहली गेट, गाजियाबाद

महिलाओं के लिए वरदान जनता बायोगैस संयंत्र

ओमप्रकाश मिश्र

कृषक चर्चा मंडल चकरनगर के सदस्यों का मार्ग दर्शन करते समय लेखक की दृष्टि जनता बायोगैस संयंत्र की ओर चली गई। आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि चकरनगर ग्राम यमुना व चम्बल के बीहड़ में स्थित है। कहने को विकास खण्ड का नाम चकरनगर है, परन्तु विकास खण्ड का मुख्यालय गांव से दूर 4 किलो मीटर है। जनश्रुति के अनुसार पाण्डवों ने अपना अज्ञात वास कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। आज भी यहां अधिकांश कृषक इन्द्र देवता की दया पर ही खेती करते हैं। पीने का पानी है, कुएं में 30–40 मीटर पर। श्री सुन्दरपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी के साथ जनता बायोगैस संयंत्र की मालिक श्रीमती केतकी कुंवरि से भेंट की।

"श्रीमती केतकी जी, आप निःसंकोच यह बताएं कि यह संयंत्र किसने बनवाया ?" "मैंने", श्रीमती केतकी ने कहा, "ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया, ऋण मैंने लिया, सभी कागजात मेरे नाम से हैं।"

"तो क्या आपके पति ने रुचि नहीं ली ?"

"जब मैंने इस संयंत्र के निर्माण के लिए पहल की तो उन्होंने विरोध नहीं किया। स्कूल में अध्यापक पद से रिटायर होने के बाद झंझटों से दूर रहना चाहते थे।"

"जनता बायोगैस संयंत्र के निर्माण की प्रेरणा कहां से मिली ?"

"मेरे पति कृषक चर्चा मंडल के संयोजक हैं। इनके पास साप्ताहिक पत्र सेवाग्राम, मासिक पत्रिकायें कृषि और पशुपालन; कृषि ज्ञान दर्शन तथा अन्य पेम्फलेट्स किसान विद्यापीठ केन्द्र बकेबर से नियमित प्राप्त होते रहते हैं। इस साहित्य को पढ़ने से मुझे जनता बायोगैस संयंत्र के विषय में जानकारी हुई। मेरे मन में दो भावनाएं पैदा हुईं। पहली—क्या गांव में भी गैस से भोजन बन सकता है ? क्योंकि गैस सिलेन्डर तो शहर वालों के लिए ही हैं। दूसरी—खेती में किसानों को काफी सुविधाएं हो गई हैं। देशी हल के स्थान पर कल्टीवेटर, सिंचाई के लिए ट्यूबवैल, मड़ाई के लिये पावरथ्रेशर और फिर ट्रैक्टर से सभी काम। लेकिन महिलाओं की सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं। महिला का मुख्य काम है भोजन पकाना। जिसके लिए आज भी चूल्हे से सिर मारना होता है। गांव में ईंधन के रूप में लकड़ी व कन्डे जलाए जाते हैं। इससे बर्तन व कपड़े काले होते हैं। सफाई में मेहनत अधिक और सबसे बड़ा नुकसान है आंखों में धुआं भरने का। अतः मैंने संयंत्र के निर्माण की पहल की और इसका श्रेय है कृषक चर्चा मंडल को।"

"क्या अब आप प्रसन्न हैं ?" मैंने पूछा।

"जी हां, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे घर में गैस से भोजन बनने लगा।"

"अब आपको और भी कुछ लाभ प्रतीत हुए हैं ?"

"एक नहीं, अनेक। गैस से रोशनी होने लगी, चाय, दूध, दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी परांठा बनने लगे। खाद अधिक बनने लगी। घर के अन्दर या बाहर कहीं गंदगी नज़र नहीं आती है।" श्रीमती केतकी ने उत्तर दिया।

मैं तुरन्त बोल पड़ा, "आपका खाद से क्या प्रयोजन ?"

"मैं भी कृषक महिला हूं। बरसात के 3 माह छोड़ कर शेष 9 माह गोबर से कण्डे अथवा उपले बनाए जाते थे अब इस काम से छुटकारा मिल गया। इससे खाद की मात्रा भी 4 गुनी बढ़ गई।"

"तो फिर संयंत्र में गोबर कौन घोलता है ?"

"लड़के या कभी-कभी मैं भी।"

"आपके यहां तो बिजली पहले से लगी है फिर भी गैस का प्रयोग रोशनी के लिये किया जाता है।"

"बिजली का क्या भरोसा ? जब रात में बिजली नहीं होती है तुरन्त गैस से हन्डा जलता है ?"

आपके यहां तो बीहड़ है। बबूल की लकड़ी तो जलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में है ?"

"इससे ईंधन की लकड़ी पर खर्च होने वाली धन की बचत होने लगी है और अप्रत्यक्ष रूप से यह भी तो एक आमदनी हुई।"

"लेकिन आप गैस के चूल्हे पर रोटी तो बनाती नहीं है, क्यों ?"

श्रीमती केतकी की मुद्रा गम्भीर हो गई, कहने लगी, "यहां साल के अधिकांश दिनों में मोटी रोटी—गेहूं चना व बाजरा की खाई जाती हैं। इस क्षेत्र की यही मुख्य पैदावार है। रोटी मोटी होने के कारण संयंत्र पर सिकती नहीं है और पतली रोटी सेकने की आदत नहीं है। अभी इसके लिए आवश्यकता है—ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण की।"

इससे पर्याप्त मात्रा में गैस मिल जाती है ?

"जी हां, परिवार में छोटे बड़े 6, 7 सदस्य हैं। भोजन बनाने, प्रकाश के लिए गैस पर्याप्त है। इसकी क्षमता 100 घन फीट है। 6 जानवर हैं प्रति दिन 70–75 किलो गोबर घोला जाता है।"

"सबसे अधिक ध्यान किस बात पर देती हैं?" "गोबर प्रति दिन गोलने पर।" श्रीमती केतकी ने कहा। "आपको इसके निर्माण में क्या-क्या सुविधाएं मिलीं?" मैंने पूछा।

"ग्राम विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी ने सक्रिय सहयोग दिया। सीमेंट कन्ट्रोल रेट से मिला। बैंक से ऋण दिलाया और अनुदान भी। समय-समय पर अन्य जानकारी भी मिलती रहती है।"

"यदि इसमें कोई खराबी आ जाये, तब?"

"इसमें खराब होने के चांस कम हैं। कभी-कभी हन्डे का मेन्टल खराब हो जाता है तो शहर पास में है वहां से इसका सभी सामान मिल जाता हैं।"

तभी आ गए श्रीमती केतकी कुंवरि के पति श्री बाबूराम तिवारी संयोजक कृषक चर्चा मंडल। मैंने उनसे भी एक दो प्रश्न पूछे, "जनता बायो गैस संयंत्र से निकली हुई खाद के बारे में आपकी क्या राय है?"

"गोबर गैस संयंत्र से निकली हुई स्लरी में बदबू नहीं आती है। मक्खियां नहीं बैठती हैं। खाद बिल्कुल सड़ी हुई होती है और इसे सीधे ही फसल में कभी-कभी प्रयोग कर लेते हैं। इससे खेत में दीमक नहीं लगती और घूरे की खाद के मुकाबले में इसके प्रयोग करने से पैदावार भी अच्छी मिली है।" श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बाबूराम से भी एक प्रश्न पूछा, "क्या आपको भी कोई लाभ प्रतीत हुआ है?" "जी, हां, बरसात के दिनों में बिजली के बल्ब पर कीड़े बहुत गिरते हैं। पढ़ाई बन्द करनी पड़ती है परन्तु इसके हन्डे के जलाने पर कीड़े पास नहीं आते हैं और पढ़ाई अच्छी तरह चलती रहती है।" श्री बाबूराम जी तिवारी से मैंने फिर पूछा कि आपके गांव में अन्य संयंत्रों के निर्माण में कौन विशेष रूप से मार्गदर्शन करता है, तो हंस कर कहने लगे "श्री यशो विमलानन्द जी आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बकेवर की विशेष कृपा इस ओर है। उनके सक्रिय सहयोग से गांव में कई संयंत्र निर्माण हुए।" श्रीमती केतकी से भी मैंने अन्तिम प्रश्न किया, "जिस प्रकार आपने इस संयंत्र के निर्माण में पहल की है क्या अन्य महिलाओं ने भी इसका अनुसरण किया है?"

श्रीमती केतकी बहुत प्रसन्न थीं कहने लगीं, "क्यों नहीं? श्रीमती सुशीला, श्रीमती शिवराम, श्रीमती रतन किशोरी ने भी पहल कर जनता बायो-गैस संयंत्र का निर्माण करा लिया है। सचमुच महिलाओं के लिए वरदान है—जनता बायोगैस संयंत्र।"

श्री आर० वेंकट नारायनन आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उ०प्र० लखनऊ ने विकास खण्ड के निरीक्षण के समय आकस्मिक रूप से एक जनता बायोगैस संयंत्र को चालू हालत में देखा। देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने इन संयंत्रों के मालिकों को भी आशीर्वाद दिया "सदैव प्रसन्न" रहने का। □

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
बकेवर इटावा।

गर्मी में

जगदीशचन्द्र शर्मा
पो० गिलूंड–313207
(राजस्थान)

सभी जानते हैं, गर्मी के
आग उगलने वाले दांव
अंगारों की बस्ती में भी
बनती बड़ा सहारा छांव

लू की लपटें खूब चुभोतीं
सबके तन पर तीखे शूल
उनको धत्ता बता रहे हैं
खिल कर नन्हें कोमल फूल

तप जाता मिट्टी का कण-कण
सबको बहुत सताती धूप
नहीं हारते हिम्मत वाले
करते हरदम काम अनूप

कोटा जिले से एक रिपोर्ट

निराश्रितों का सहारा : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

प्रभात कुमार सिंघल

कोटा जिले में आर्थिक परवशता, बेरोजगारी और कुपोषण के शिकार, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों तथा छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सम्बल देने का काम यहां के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बड़े सराहनीय ढंग से किया है। सहायतार्थ परिवारों के चयन का काम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से ही किया जा रहा है। चयनित परिवारों को विविध कृषि एवं अकृषि कार्यों के लिए अभिकरण अनुदान उपलब्ध कराता है तथा बैंकों से ऋण दिलाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के समस्त परिवारों को 50 प्रतिशत के हिसाब से, लघु कृषक को 25 प्रतिशत के हिसाब से एवं सीमांत कृषक को साढ़े 33 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान उपलब्ध कराये जाते हैं। अभिकरण के तहत जो योजनाएं जिले में क्रियान्वित हो रही हैं उनसे संबंधित परिवारों को शीघ्र लाभ मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ऋण व अनुदान प्राप्त करने में में न आए, इस ओर वर्तमान अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) श्रीमती अदिती मेहता के और भी सराहनीय प्रयास हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत वर्ष 1978–79 में 15 व्यक्तियों को 25,740 रुपये, वर्ष 1979–80 में 470 परिवारों को 7 लाख 84 हजार 80 रुपये, वर्ष 1980–81 में 1,365 परिवारों को 35 लाख 38 हजार 150 रुपये ऋण दिया गया। वर्ष 1981–82 में 4,465 परिवारों की सहायता की गई और वर्ष 1982–83 में 7,985 परिवारों को 1.83 करोड़ रुपये का ऋण सुलभ कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर 83 तक 5,326 परिवारों को करीब एक करोड़ रुपये के ऋण तथा 50.77 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया। लाभान्वित परिवारों में पंचायत समिति अटरू के 445, अन्ता के 349, बांरा के 342, छबड़ा के 36, छीपाबडोद के 674, किशनगंज के 310, खैराबाद के 406, लाडपुरा के 436, सुल्तानपुर के 526, सांगोद के 649, शाहबाद के 539 तथा पंचायत समिति इटावा के अनेक चयनित परिवारों को लाभान्वित किया गया।

लाभान्वित परिवारों में 2,183 परिवारों को बैल-जोड़ी, 1,137 परिवारों को बकरियां, 957 परिवारों को भैंस तथा शेष परिवारों को अन्य साधन उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया गया।

ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण

ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1979–80 से प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बेरोजगार शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों को स्थानीय दस्तकला, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं व्यावसायिक उद्यमकर्ता केन्द्रों के माध्यम से सिलाई, कसीदा, साइकिल मरम्मत, पंपसेट व कृषि यंत्र मरम्मत, सीमेंट जाली निर्माण, वायरमैन, वेल्डिंग, टर्नर, प्लम्बर, हैंडपम्प मरम्मत, मोटर रिपेयर व ड्राइविंग तथा कालीन बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 250 रुपये तक के औजार क्रय कर दिलाए जाते हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के उद्देश्य से बैंकों से ऋण एवं अभिकरण से 33 1/2 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। मानदेय राशि इस वर्ष 50 से बढ़ाकर 75 रुपये तथा 100 से 150 रुपये कर दी गई है। टूलकिट की राशि 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये कर दी गई है।

इस महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी कार्यक्रम के तहत वर्ष 1979–80 में 359 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1980–81 में 515 को, 1981–82 में 1,546 को तथा 1982–83 में 911 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 1983–84 में जिले की 12 पंचायत समितियों में प्रति पंचायत समिति 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत 1252 व्यक्तियों का चयन किया गया तथा प्रशिक्षण की स्वीकृति दी गई। इनमें से 431 स्वरोजगार में लग चुके हैं।

स्काइट कार्यक्रम

शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों को जिनकी मासिक आय 500 रुपये से कम है, बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार स्थापित करने का कार्यक्रम काफी तेजी से किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अभिकरण 33 1/2 प्रतिशत की दर से अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

इस कार्यक्रम के तहत 585 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से 205 को आर्थिक संबल प्रदान किया जा चुका है। 74 व्यक्ति अभी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 250 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

गोबर गैस

जिन लोगों के पास पशुधन है उनके यहां गोबर गैस संयंत्र लगवाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष जिले में 250 संयंत्र लगाने का लक्ष्य था। कुल 828 लोगों ने संयंत्र लगाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे। 95 संयंत्र पूर्ण हो चुके हैं तथा 121 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। इस कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। बोराबास में सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र बन रहा है।

रेशम कीट पालन

कृषि पर आधारित उद्योग. रेशम कीट पालन का कार्यक्रम पंचायत समिति लाडपुरा के ग्राम बोरखेड़ा, जालखेड़ा, कैथून, मोतीपुरा एवं किशनपुरा में शुरू किया गया है।

वर्ष 1983–84 में 2.50 हैक्टेयर में योजना के तहत शहतूत की पौध प्रदर्शन हेतु लगाई गई। पौधों की लंबाई 5 फुट तक पहुंच गई है। 28 कृषकों के यहां 6.36 हैक्टेयर में शहतूत की खेती की गई।

रेशम कीट पालन कार्य के अन्तर्गत दो प्रदर्शन कृषकों के यहां किए गए, इनसे 73 किलोग्राम कोकून तैयार किए गए।

रिलिंग कार्य के अन्तर्गत कैथून में मशीन लगाई गई जिसमें 16 बुनकरों को प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है। योजना के तहत राज्य सरकार ने 3.85 लाख रु० आवंटित किया था, जिसमें से अब तक 2.54 लाख रुपये खर्च हो चुका है।

टसर रेशम योजना को भी यहां क्रियान्वित किया जा रहा है। अर्जुन पौधों से रेशम प्राप्त करने की इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 6.75 लाख रु० स्वीकृत किया गया था। केलवाडा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 2.25 लाख पौधे लगाए गए। इसके अतिरिक्त धाकड खेड़ी फार्म पर 57 हजार पौध लगाई गई। उत्पादित रेशम की खपत के लिए बाजार के रूप में कैथून में बनाई जाने वाली कोटा साड़ियां हैं।

गोबर गैस से चलता हुआ चूल्हा

लघु सिंचाई

अभिकरण के माध्यम से 10 जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा दो विचाराधीन हैं। इस वर्ष 6 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हाइड्रम सिंचाई योजना की उपयोगिता को अंगीकार किया गया है। अमृतखेड़ी एनीकट पर अभिकरण ने इसे प्रदर्शन के रूप में शुरू किया है। इसमें बहते हुए पानी की शक्ति को काम में लेकर थोड़ी मात्रा में पानी को ऊपर उठाया जाता है। इस व्यवस्था के लिए ढालू नदियों, जिनमें सतत् जल प्रवाह होता है, उन पर छोटे एनीकट बनाकर अथवा बने एनीकट पर हाईड्रम व्यवस्था कर जलोत्थान किया जाता है। इसमें डीजल या बिजली की आवश्यकता नहीं होती। एनीकट पर इस योजना की व्यवस्था करने में 45 से 70 हजार रुपये लागत आने का अनुमान है तथा एनीकट से दूर होने पर सिविल वर्कस एव पाइप लाइन का व्यय अतिरिक्त आता है।

योजना के लिए अभिकरण एकीकृत ग्राम विकास योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान राशि सुलभ कराता है।

प्रदर्शन के लिए तैयार इस हाईड्रम सिंचाई योजना से 12 कृषकों की 12.7 एकड़ भूमि सिंचित की जाएगी। जिस पर करीब 82 हजार रुपये लागत आने की संभावना है। □

के० आर०–520,
माला रोड, कोटा (राजस्थान)

शिशु एक सुख अनेक

गोबर गैस संयंत्र के उचित रखरखाव से अधिक लाभ उठाइए

राजेन्द्र प्रसाद

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। उनमें से जो भली-भांति कार्य नहीं कर रहे हैं उसका कारण गोबर गैस संयंत्र का उचित रखरखाव न किया जाना है। सही रखरखाव से संयंत्र पूरे वर्ष बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त श्रम के सुचारु रूप से कार्य करता रहेगा, ऊर्जा प्राप्त होगी और कृषकों को उत्तम प्रकार की खाद भी उपलब्ध होगी।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 80 प्रतिशत जन-संख्या कृषि की आय पर निर्भर करती है। लेकिन यह निराशाजनक बात है कि हमारे देश की प्रति हैक्टेयर पैदावार दूसरे देशों की अपेक्षा-कृत बहुत कम है। खाद और सिंचाई अधिक पैदावार लेने के दो मुख्य निवेश हैं। खाद मुख्यत: दो प्रकार की होती है—रासायनिक एवं कार्बो-निक खाद। आर्थिक परिस्थितियों के कारण से कृषक रासायनिक खादों का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। पशुओं का गोबर ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। जिससे गोबर में पाए जाने वाले, पौधों के मुख्य पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन समस्त समस्याओं का समाधान केवल गोबर गैस संयंत्र से ही सम्भव है। इससे खाद व ईंधन दोनों की जटिल समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन इसके समुचित रखरखाव के अभाव में कृषक इनसे पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जनता गोबर गैस संयंत्र के रखरखाव में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए :

निर्माण संबंधी सावधानियां

(1) संयंत्र का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा ही कराना चाहिए।

(2) संयंत्र के निर्माण में प्रथम वर्ग की ईंटों का ही चयन करना चाहिए।

(3) सीमेन्ट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(4) संयंत्र निर्माण में लगने वाले पदार्थों की पूर्ण मात्रा ही डालनी चाहिए।

2. सामान्य रखरखाव एवं सावधानियां :

(1) डाइजेस्टर की दीवार, इनलेट व आउटलेट के पास मिट्टी डालकर सतह को समतल बना देना चाहिए, जिससे पानी अन्दर न जा सके।

(2) संयंत्र के गुम्मद पर सदैव 5–8 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह होनी चाहिए।

(3) संयंत्र के इनलेट व आउटलेट सदैव ढक्कन से बन्द होने चाहिए। खराब होने की दशा में इन्हें तत्काल बदल देना चाहिए।

(4) संयंत्र के ऊपर से वर्षा का पानी नहीं बहने देना चाहिए, ऐसा न करने पर पानी अन्दर चला जाता है और गैस नहीं बन पाती है।

(5) निर्माण के तुरन्त पश्चात् डाइजेस्टर एवं खोदे हुए गड्ढे को ठीक प्रकार से मिट्टी से भरकर अच्छी तरह से ठोक देना चाहिए अन्यथा डाइजेस्टर की दीवार में दरार पड़ सकती है।

(6) पानी की ऊंची सतह वाले स्थानों में संयंत्र का निर्माण ऊंचे स्थान पर करना चाहिए। ऐसा करने से संयंत्र के ऊपर से पानी नहीं गुजरेगा।

गोबर सम्बन्धी रखरखाव एवं सावधानियां :

(1) गोबर गैस संयंत्र में गोबर उसकी क्षमता के अनुसार ही डालना चाहिए। कम या अधिक मात्रा में गोबर डालने से संयंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है। गोबर की निर्धा-रित मात्रा निम्न प्रकार है :—

संयंत्र का आकार (घन मीटर में)	पशुओं की अनुमानित संख्या	गोबर की मात्रा (किलोग्राम में)
2	3 – 4	50
3	4 – 5	75
4	5 – 7	100
6	7–10	150

(2) संयंत्र में गोबर की निर्धारित मात्रा प्रतिदिन डालनी चाहिए।

(3) गोबर को सदैव घोलकर ही डालना चाहिए। इसके लिए गोबर व पानी का अनुपात 1:1 उत्तम रहता है अर्थात् यदि एक बाल्टी गोबर है तो उसमें एक बाल्टी पानी ही मिलाना चाहिए।

(4) संयंत्र में डाला जाने वाला गोबर कंकड़, मिट्टी व चारे के टुकड़ों से रहित होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी व कंकड़ संयंत्र की नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और उसकी क्षमता को कम कर देते हैं। चारे के टुकड़े ऊपर तैर आते हैं

और अपने साथ आक्सीजन ले जाते हैं जिससे मिथेन गैस बनने में रुकावट आ जाती है।

(5) संयंत्र में गोबर और पानी का मिश्रण अच्छी प्रकार से तैयार करने के पश्चात् ही डालना चाहिए।

(6) गोबर के साथ किसी अन्य पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए।

(7) संयंत्र में बनने वाली पपड़ी को तोड़ देना चाहिए।

(8) संयंत्र की स्लरी को सर्दियों में बांस आदि से कभी-कभी हिलाते रहना चाहिए। इससे जीवाणुओं के कार्य तथा गैस उत्पादन में सहायता मिलती है।

(9) सर्दियों में गैस की मात्रा बढ़ाने के लिए गोबर को गर्म पानी में घोलना चाहिए।

(10) पशुओं का मूत्र डालने से भी सर्दियों में गैस का उत्पादन बढ़ जाता है।

पाइप लाइन का रखरखाव एवं सावधानियां :

(1) पाइप के जोड़ों को सही ढंग से बांधना चाहिए। साकिटों को अधिक न कसें अन्यथा वे चटक जाते हैं और गैस निकलने लगती है।

(2) पाइप अच्छी किस्म का ही प्रयोग करें।

(3) रसोईघर के संयंत्र से दूर होने पर ज्यादा व्यास वाले पाइप का उपयोग करना चाहिए, जिससे गैस का उचित दबाव बना रहे।

(4) पाइप का ढाल संयंत्र की तरफ रखना चाहिए जिससे पाइप में नमी न चढ़ सके और संयंत्र में वापिस चली जाए।

(5) गेट वाल्व संयंत्र के पास ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से पाइप को साफ करने में सहायता मिलती है।

(6) पाइप के मोड़ों पर बैंडों के स्थान पर अर्ध चन्द्राकार लगाना चाहिए। इससे मोड़ पर किसी वस्तु के फंसने की आशंका नहीं रहती है।

बर्नर का रखरखाव एवं सावधानियां :

(1) बर्नर के छिद्रों में लगा कार्बन साफ करते रहना चाहिए।

(2) खाना पकाते समय बर्तन को चूल्हे पर इस प्रकार रखें कि उचित मात्रा में हवा मिलती रहे। इसके लिए बर्तन और चूल्हे के बीच 5 सेंटिमीटर का स्थान रखना चाहिए।

(3) माचिस की तीली को जलाने के पश्चात् ही गैस को खोलना चाहिए।

(4) टूटे हुए चूल्हे को कभी भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, इससे गैस की खपत बढ़ जाती है क्योंकि काफी गैस व्यर्थ चली जाती है।

लैम्प का रखरखाव एवं सावधानियां :

(1) उत्तम किस्म के लैम्पों को ही उपयोग में लाना चाहिए।

(2) मैन्टल केवल 100 कैन्डल पावर के ही उपयोग करने चाहिए।

(3) लैम्प के कार्बन की सफाई करते रहना चाहिए।

(4) शीशे के ढक्कन का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस कारण प्रकाश अच्छा मिलता है।

अन्य सावधानियां :

(1) डोम के ऊपर कभी भी आग जलानी नहीं चाहिए।

(2) पाइप से गैस के निकलने की परीक्षा कभी भी जलती हुई माचिस की तीली से न करें।

(3) गैस को सूंघना नहीं चाहिए।

(4) संयंत्र के पास कूड़ा करकट इकट्ठा न होने दें।

उपर्युक्त लेख में जो रख-रखाव सम्बन्धी सावधानियों का वर्णन किया गया है, उनकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि संयंत्र पूरे वर्ष सुचारु रुप से कार्य करता रहे और आपकी ईंधन गैस व खाद आदि की आवश्यकताएं पूरी होती रहें। इससे न केवल आपको ही लाभ होगा बल्कि वृक्षों का काटना भी बन्द हो जायेगा, जिससे पर्यावरण में भी सुधार होगा। गांवों में शुद्ध वायु का संचार होगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथ ही चारों ओर खुशहाली का आलम होगा। □

वरिष्ठ तकनीकी सहायक
कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, 115, बी विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली—110001।

राष्ट्रीय एकता की कड़ी

यदि मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक गांव-गांव में जाकर मैं भूदान-ग्रामदान का क्रान्तिपूर्ण संदेश जनता तक न पहुंचा सकता। यदि मैं मराठी का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न बनता। इसी तरह अंग्रेजी भाषा लेकर चलता तो कुछ प्रान्तों में तो काम चलता परन्तु गांव-गांव जाकर क्रान्ति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हिन्दी भाषा का मुझ पर बड़ा उपकार है। इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है।

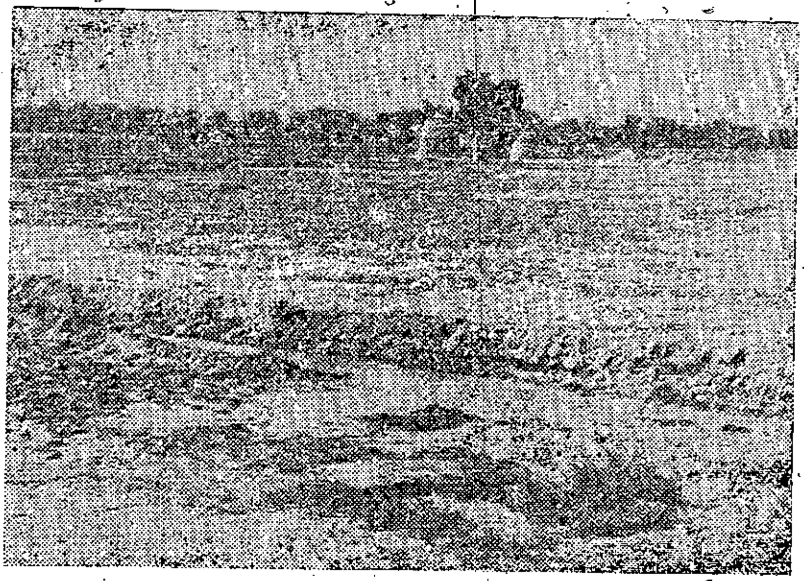

जटपुरा और उसके इर्द-गिर्द के कल्लर का उपजाऊ बनने से पूर्व का दृश्य

कल्लर भूमि धन उपजाए

सुभाष चन्द्र 'सत्य'

हरियाणा में करनाल से करीब 8 किलो मीटर दूर एक गांव है—काछवा । इस गांव का एक हिस्सा जटपुरा कहलाता है । यहां आपको आज लहलहाते खेत, कुछ पक्के मकान, स्कूलों और कालेजों में जाने वाले बच्चे तथा सामान्य श्रृंगार किए हुए महिलाएं दिखाई देती हैं । बच्चों के हाथ में क्रिकेट का बैट, कुछ पुरुषों के हाथ में ट्रांजिस्टर, घरों के बाहर बंधे दुधारू पशु और एक दो घरों की छतों पर टेलीविजन का एंटीना भी गांव की जागरूकता तथा अच्छी माली हालत का संकेत करता दिखाई देता है । परन्तु कुछ वर्ष पूर्व यहां का दृश्य एकदम भिन्न था । पूछने पर पता चलता है कि जटपुरा बहुत पुराना नहीं है और मूल गांव काछवा से यह अलग-थलग है । यहां के लोगों का जीवन-स्तर गांव काछवा के मूल निवासियों के समान तो नहीं, परन्तु आज से करीब बीस वर्ष पहले से अब हजार गुना अच्छा है, जब पंजाब के खाना-बदोश बाजीगरों को जमीन देकर यहां बसाया गया था । अपराधवृति पर अपना जीवन बसर करने वाले ये लोग आज सम्पन्न भले ही नहीं, किन्तु इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं । आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि सरकार ने जब इन बंजारों को इस गांव में बसाया था तो यहां धान और गेहूं तो क्या एक तिनका घास तक नहीं उगता था क्योंकि यह पूरी जमीन कल्लर जमीन थी । परन्तु आज वही जमीन सोना उगलने लगी है और गेहूं-चने के लहलहाते खेत देखकर गांव वालों के साथ-साथ करनाल स्थित केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का मन भी उछलने लगता है ।

कृषि विज्ञान का चमत्कार

काछवा करनाल के आसपास के उन 32 गांवों में से एक है, जहां केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कल्लर भूमि को उपजाऊ बनाकर अनाज का उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । कल्लर भूमि वह भूमि है, जिसमें क्षारांश बहुत अधिक होता है । ऐसी भूमि में वर्षा के उपरांत पानी गन्दला हो जाता है और काफी देर तक खड़ा रहता है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की शक्ति बहुत कम होती है । मीठे-सोडे और लवणों की अधिकता के कारण ऐसी जमीन की भौतिक स्थिति बिगड़ जाती है । गर्मी में पानी के सूख जाने पर भूमि में दरारें पड़ जाती हैं और कई बार सफेद और काले लवण भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं । इसे ऊसर भूमि भी कहा जाता है ।

इस संस्थान की स्थापना के लिए करनाल को चुना गया, क्योंकि इस क्षेत्र की भूमि देश में सबसे अधिक लवणयुक्त है । देश में करीब 70 लाख हैक्टेयर भूमि लवण से प्रभावित है । परन्तु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में यह समस्या सबसे जटिल है । जैसे-जैसे सिंचाई की अधिक व्यवस्था होती जा रही है, वैसे-वैसे कल्लर भूमि का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है । संस्थान के निदेशक डा० इन्द्र मोहन अबरोल के अनुसार यदि इस समस्या पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा ।

संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनेक अनुसंधानों के बाद एसी विधि तैयार करने में सफलता प्राप्त की है जिससे कल्लर जमीन को आसानी से कृषि योग्य बनाया जा सकता है और फसलों की अच्छी पैदावार ली जा सकती है । यह विधि अपनाकर पहले साल में ही किसान खरीफ में धान तथा रबी में गेहूं, जौ आदि की अच्छी पैदावार कर सकते हैं ।

कल्लर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पहले जमीन को समतल बनाकर मेड़ बांधी जाती है । प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच के परिणामों के अनुसार खेतों में जिप्सम डाला जाता है । सबसे पहले खरीफ में सही समय पर धान की उन्नत किस्मों की बुवाई की जाती है, परन्तु इसके लिए ज्यादा पौध लगाई जाती है और रोपाई के समय भूमि को दलदली नहीं बनाया जाता ।

इसमें समुचित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक तथा जिंक सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। बाद में, रबी मौसम में गेहूं की उन्नत किस्मों की फसलों की समय पर बुआई की जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गेहूं की फसल को हल्का लेकिन सामान्य से अधिक बार पानी दिया जाए। गेहूं के लिए भी नाइट्रोजन उर्वरक तथा जिंक सल्फेट खेतों में डाला जाता है। रबी में जौ तथा बरसीम की भी खेती की जा सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां तक संभव हो खेत को खाली न रखा जाए और लगातार तीन वर्ष तक इसी क्रम से खेती की जाए। 5 वर्ष तक यह विधि अपनाने से कल्लर जमीन पूरी तरह उपजाऊ हो जाती है और उस पर सब प्रकार की खेती की जा सकती है। इस विधि से पहले ही वर्ष धान की 25–30 क्विंटल और गेहूं की 20–25 क्विंटल प्रति हैक्टेयर पैदावार ली जा सकती है।

कल्लर बने उर्वरा भूमि और लहलहाएं खेत

संस्थान के उद्देश्य

1 मार्च 1969 को केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल में केनिंग में है। संस्थान के वैज्ञानिक कल्लर भूमि को कृषि योग्य बनाने की विधियां तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करते हैं तथा मिट्टी के स्वरूप का रासायनिक परीक्षण करते हैं। इसके साथ-साथ यह भी जांच करते हैं कि कौन सी फसल या किसी फसल की कौन-कौन सी किस्म किस प्रकार की जमीन पर उगाई जा सकती है।

भूमि में लवणता तत्व पैदा होने के विभिन्न कारणों तथा उससे बचने के उपाय ढूंढने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भूमिगत और भूमि के ऊपर के पानी का परीक्षण किया जाता है और उनके स्वरूप में विकृति आने के कारणों को खोजा जाता है। कल्लर भूमि को उपजाऊ बनाने की टैक्नोलोजी विकसित करने के अतिरिक्त यह संस्थान जल प्रबन्ध की समस्या का भी अध्ययन करता है तथा उसके समाधान के उचित उपाय ढूंढ़ता है।

संस्थान अनुसंधान के साथ-साथ प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी काम करता है। यहां पर मृदा लवणता तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यह देश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के कृषि और मृदा परीक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों से तालमेल रखता है और अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं के बारे में उनके अनुभवों से अवगत होता है और उनका उचित मार्ग दर्शन करता है।

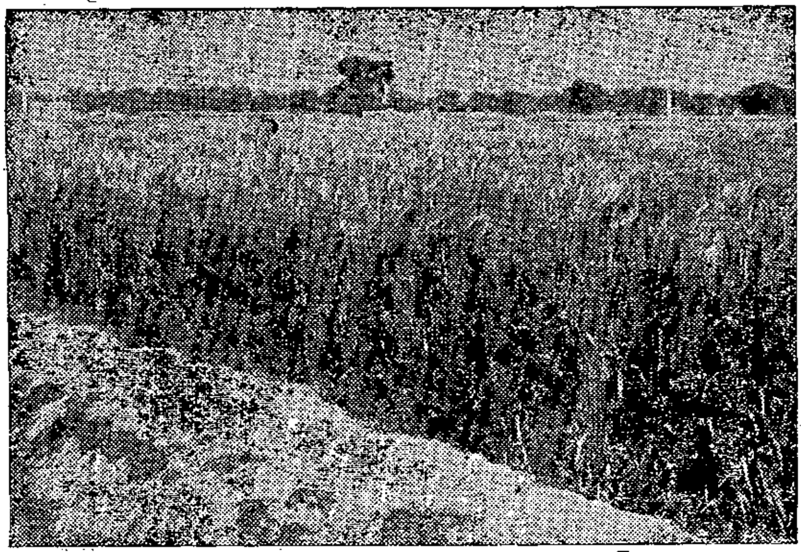

जो पहले कल्लर था अब उस भूमि में भरपूर फसल

संस्थान में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इनमें मृदा लवणता के विभिन्न पहलुओं तथा इस समस्या से निपटने के उपायों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी दी जाती है। लगभग 76 हैक्टेयर क्षेत्र में फैले इस संस्थान में मुख्य कैंपस के अलावा विशाल अनुसंधान फार्म है जहां विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। फार्म में 100×25 मीटर आकार के खेत बने हुए हैं। इनके लिए भूमिगत सिंचाई की व्यवस्था है। अनुसंधान के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं तथा बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 900

पुस्तकें हैं तथा करीब 250 पत्र-पत्रिकाएं आती हैं।

प्रयोगशालासे खेतों तक

किसी भी अनुसंधान की सार्थकता इसी में है कि अनुसंधान से प्राप्त जानकारी सही रूप में और सही ढंग से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। "फाम लैब टू लैण्ड" अर्थात "प्रयोगशाला से खेतों तक" नारा इसी उद्देश्य से दिया गया है। यहीं पर विस्तार सेवाओं की भूमिका प्रारम्भ होती है। यदि विस्तार सेवाओं का सम्यक् संचालन न हो तो वैज्ञानिकों का समस्त प्रयास और सरकार द्वारा किया गया सारा व्यय मिट्टी में मिल जाता है। निस्संदेह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की विस्तार सेवायें अपर्याप्त हैं। इस प्रकार की उपयोगी तथा हरित क्रांति में योग देने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए जितने बड़े स्तर पर विस्तार कार्य की जरूरत है, वे वहां मौजूद नहीं हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि संस्थान इस दिशा में एकदम उपेक्षा बरत रहा है। इसने अनेक प्रकार के अनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों को किसानों तथा इस कार्य से सम्बन्धित अन्य वर्गों तक पहुंचाने के उपाय किए हैं।

सबसे प्रभावपूर्ण तथा प्रमुख उपाय है व्यावहारिक परियोजना प्रणाली। जैसा कि प्रारम्भ में बताया गया है, इसके अन्तर्गत संस्थान ने करनाल के आस-पास के 32 गांव अपनाए हैं। इन गांवों में संस्थान के वैज्ञानिक जाकर किसानों को कल्लर जमीन कृषि योग्य बनाने की विधि का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हैं। पहले एक एकड़ भूमि में यह प्रयोग करके दिखाया जाता है। उसके बाद, किसान स्वयं विधि सीख कर उसी के अनुसार काम करते हैं। एक एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाने पर करीब 3000 रुपये खर्च होते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि गांव के लोगों को इस विधि के साथ-साथ पैदावार बढ़ाने में सहायक, अन्य पहलुओं की भी जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए उर्वरक, सिंचाई, उन्नत किस्म के बीज, फसलों की बीमारियों तथा कीटनाशक दवाओं आदि के सम्बन्ध में किसानों का मार्ग दर्शन किया जाता है। संस्थान खेतों में डालने के लिए जिप्सम की व्यवस्था करता है तथा उचित मूल्य पर किसानों को जिप्सम सप्लाई करता है। यह जिप्सम मुख्यरूप से राजस्थान से मंगाया जाता है। इसके अलावा फसल के मौसम के दौरान किसान दिवस मनाए जाते हैं जिनके माध्यम से किसानों को व्यावहारिक बातें समझाने के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके साथ-साथ चलती-फिरती प्रदर्शनियों, रोचक तथा सचित्र पुस्तिकाओं और रेडियो तथा दूरदर्शन के जरिए भी यह बहुमूल्य जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है।

संस्थान में समय-समय पर गोष्ठियां भी होती ह जिनमें देश-विदेश के विद्वानों तथा कृषि और मृदा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। इन सब उपायों से मृदा लवणता से बचाव तथा उसे दूर करने की विधियों के बारे में जानकारी का प्रसार होता है, परन्तु इस दिशा में अभी और प्रयास करने की जरूरत है।

आर्थिक-सामाजिक उत्थान

इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्थान कल्लर भूमि को उपजाऊ बना कर कृषि उत्पादन बढ़ाने में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। यह कम महत्व की बात नहीं कि इस समस्या के प्रति लोगों में जागृति पैदा करने में सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ संस्थान के प्रयासों से हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में करीब ढाई लाख हैक्टेयर कल्लर जमीन में अब खेती होने लगी है और इस जमीन पर जहां पहले तिनका तक नहीं उगता था, अब हर वर्ष 10–12 लाख टन अनाज पैदा होने लगा है।

संस्थान ने एक और दिशा में भी अत्यंत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसने गेहूं की ऐसी नयी किस्में विकसित की हैं, जो कल्लर जमीन में बोई जा सकती हैं। इन किस्मों से 3 से 6 टन प्रति हैक्टेयर उपज होती है। हाल ही में इस संस्थान ने चावल की अधिक उपज देने वाली एक किस्म निकाली है, जिसे कल्लर जमीन में बोया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तटवर्ती इलाकों में बुवाई के लिए यह किस्म किसानों को सप्लाई की है। इस प्रकार अनाज का उत्पादन बढ़ा कर लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में इस संस्थान का बहुमूल्य योगदान रहा है। संस्थान ने काछवा गांव में किसानों को बैंकों से ऋण आदि दिलाने में भी पूरी सहायता की। चोरी-डकैती से अपना गुजर करने वाले लोगों का आर्थिक ही नहीं, सामाजिक तथा नैतिक उत्थान हुआ है, जो संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। डाक्टर अबरोल के अनुसार प्रारम्भ में जब संस्थान के लोग गांव में लोगों की मदद के लिए जाते थे तो वे उनसे दूर भागते थे और कहते थे कि ये लोग हमें ठगने आए हैं। परंतु अब उनके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया है। अब वे संस्थान के हर कर्मचारी को अपना दुश्मन नहीं उद्धारक समझते हैं और उनकी बात मानते हैं। उनकी आंखों में संस्थान के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता का भाव झलकता दिखाई देता है। यह परिवर्तन सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है।

भावी योजनाएं

संस्थान ने अपना काम और बढ़ाने की योजना बनायी है। अब अधिक ध्यान ऐसी किस्में विकसित करने पर दिया जाएगा जो कल्लर जमीन में भी भरपूर उपज दे सकें। कल्लर जमीन में उगाने योग्य पेड़ों की किस्मों की भी पहचान की जा रही है तथा उन्हें उगाने की विधियों के संबंध में अनुसंधान चल रहा है। संस्थान के अब तक के प्रयासों की सफलता तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं को देखकर विश्वास होता है कि वह दिन दूर नहीं, जब मृदा लवणता की समस्या दूर हो जाएगी और जो भूमि आज बेकार है वह भरपूर फसल देने लगेगी।

सी-7/134 ए, केशवपुरम (लारेंस रोड) दिल्ली-110035

हमारी सम्पदा हमारे वन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मासिक रिपोर्ट

सचिव (ग्रामीण विकास) ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण करने हेतु 13 व 14 फरवरी 1984 को बिहार राज्य का दौरा किया था। हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के साथ क्रमश: 1 व 2 मार्च, 1984 को पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गई थीं।

मंत्रालय द्वारा पशुपालन निदेशालय, राजस्थान के माध्यम से उदयपुर में 8 से 10 फरवरी, 1984 तक विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के घटक के रूप में मुर्गीपालन विकास पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

31 जनवरी, 1984 तक संकलित की गई सूचना के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1983–84 में 21.81 लाख लाभ–भोगियों को सहायता दी गई है, जिसमें 8.95 लाख लाभभोगी (जो कि 41.03 प्रतिशत बनते हैं) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1984 तक 236.60 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाई जा चुकी है तथा 457.05 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

8 फरवरी से 7 मार्च की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, नगालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम के राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन व दीव, दादरा तथा नगर हवेली और लक्षद्वीप के केन्द्र शासित क्षेत्रों को 2,404.05 लाख रुपये की धनराशि तथा 10,580 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा वंटित की गई है। इसको मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 15,477.38 लाख रुपये की धनराशि तथा 2,35,763 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा वंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति ने 4,779.782 लाख रुपये मूल्य की 19 परियोजनाओं को अनुमोदित किया। केन्द्रीय समिति ने अब तक 37,469.471 लाख रुपये के मूल्य की कुल 108 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को क्रमश: 191.00 लाख रुपये और 105.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता वंटित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने निम्नलिखित छह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें 169 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था—(1) ग्रामीण गरीबों को वित्त देने, ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई, ग्रामीण विकास के लिए सूचना उपलब्ध कराने के बारे में तीन गोष्ठियां (2) ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं के शिक्षा संबंधी घटक के संदर्भ में भावी अनुसंधान के बारे में दो कार्यशालाएं (3) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए ग्रामीण विकास पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

मंत्रालय की वर्ष 1984–85 के लिए प्रशिक्षण सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1984–85 में 53 गोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

कृषि विपणन

विपणन और निरीक्षण निदेशालय ने दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से 11 से 14 फरवरी, 1984 तक नई दिल्ली में कृषि बाजार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 18.981 लाख रुपये की धनराशि वंटित की गई है। वर्ष 1983–84 के दौरान अब तक 162.608 लाख रुपये की धनराशि वंटित की जा चुकी है। ☐

बैंक सहायता ने विकलांग को नया जीवन दिया

विकलांग बांकसिंह की करुण कहानी

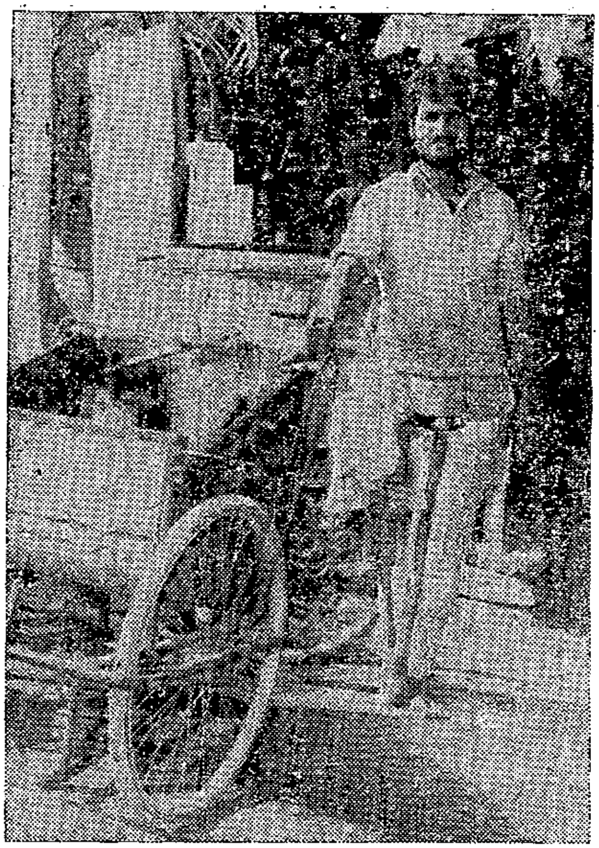

भूरचन्द जैन,

राजस्थान के पश्चिमी सीमान्त बाड़मेर जिले के पाक सीमा से सटे गडरा रोड़ के गुड़ीसर का तीस वर्षीय युवक बांकसिंह शरीर से विकलांग हैं। जिसके दाहिने हाथ पैर में लकवा हो जाने से वे पूर्णतः बेकार हैं। लेकिन लकड़ी की घोड़ी के सहारे आज भी बाड़मेर नगर में थार आंचलिक ग्रामीण बैंक के ऋण व जिला विकास ग्रामीण अभिकरण के अनुदान सहयोग से चाय की दुकान चलाकर अपना पेट पाल रहा है। वह अपने परिवार पर बोझ बनकर नहीं अपितु श्रम करके जी रहा है।

विकलांग बांकसिंह के जीवन की रोमांचकारी कहानी है। जन्म से इसका शरीर बिल्कुल निरोग था। बचपन में आठ वर्ष गुजर जाने के पश्चात् इनके शरीर में लकवे का असर हुआ। अंधविश्वास, अशिक्षा, राजपूत परिवार में पर्दाप्रथा की कुरीतियों के कारण बांकसिंह का कोई इलाज समय पर नहीं हुआ। इसके उपचार के लिए आए दिन भोपो, भरडो से झाडा झपटा करवाया जाने लगा। इससे उसकी स्थिति सुधरने की अपेक्षा अधिक बिगड़ गई। उन दिनों सीमान्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की भी व्यवस्था नहीं थी। शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बांकसिंह का इलाज करवाना सम्भव नहीं था और इसका एक दाहिना हाथ व पैर लकवे के कारण बिल्कुल ही खराब हो गया।

लाड़ प्यार में पलने वाला बाड़मेर के भूतपूर्व शासक भारोणा राजपूत परिवार का बांकसिंह विकलांग बन गया। अब उसे पारिवारिक प्यार नहीं अपितु तिरस्कार का जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। बालक बांकसिंह को विकलांग होते हुए भी पढ़ने का अधिक चाव था। दस वर्ष की आयु में बांकसिंह घर छोड़कर बाड़मेर आया। यहां गंगाधर के मठ में रहकर इसने मठ के मठाधीशों की सेवा की। मठ में सफाई कर पीने, का पानी भरता, पशुओं को चारा डालता, खाना पकाता और मठ में आने वाले लोगों की हाजरी उठाता। इतना करते हुए भी उसने स्कूल जाना आरम्भ किया और चार कक्षा तक पढ़ाई की किन्तु पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गया। क्योंकि, जिसकी यह बाजरी खाता था उनकी हाजरी में बाधा उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में विकलांग बांकसिंह गंगाधर के मठ में दूसरों के सहारे अपना दयनीय एवं तिरस्कार से भरा जीवन व्यतीत करने लगा।

बचपन से श्रम करके जीने का इसका अपना एक स्वप्न था। इसने गंगाधर मठ के महाराज के सामने श्रम-मेहनत-मजदूरी करने का प्रस्ताव रखा। इसके प्रस्ताव को सुनकर मठ में आने वाले लोग इसका मखौल उड़ाते थे कि हाथ पैर से लंगड़ा क्या मेहनत करेगा। ऐसे ताने उसे प्रतिदिन सुनने पड़ते थे। लेकिन, मठ के मठाधीश महाराज उसे सदैव आश्वासन देते कि तुम्हें मेहनत मजदूरी पर अवश्य लगाएंगे।

श्रम में आस्था, विश्वास एवं निष्ठा रखने वाले विकलांग बांकसिंह का स्वप्न साकार हुआ और इसे वन विभाग में मजदूरी का काम मिल गया। यहां गड्ढे खोदकर पेड़ लगाता और हर्षित

होता। उसे प्रतिदिन तीन रुपये मजदूरी के मिलते। लेकिन यह स्थाई काम नहीं था। आठ वर्षों तक उसे वन विभाग में बजट प्रावधान होता तो काम मिल जाता नहीं तो बेकार रहना पड़ता। फिर भी उसे संतोष था कि जितने दिन काम मिलेगा उतना ही अच्छा है। तीन से सात रुपये की मजदूरी उसे आठ वर्षों के दौरान सरकारी नियमानुसार समय-समय पर मिलती रही। इन आठ वर्षों में लगातार काम नहीं मिला। विचार आया कि स्थाई नौकरी करनी चाहिए।

विकलांग बांक सिंह ग्राहकों को चाय देते हुए

बांकसिंह को प्रतिमास पैंसठ रुपये की स्थाई नौकरी ज़िलाधीश कार्यालय के प्रांगण में धर्मादा की चलने वाली प्याऊ में पानी पिलाने की मिली। जहां तीन वर्ष कार्य किया और नौकरी छूट गई। फिर बांकसिंह बेकार। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मोक्षमार्ग पर बनी भगतों की प्याऊ पर लोगों को पानी पिलाने की नौकरी मिली। यहां पर भी पैंसठ रुपये प्रतिमास के हिसाब से एक साल से उपर नौकरी की और नौकरी छूट गई। बेकार भला किसको सुहावे। यह स्थिति बांकसिंह को काटती रहती। एक अवसर फिर आया और जैन प्याऊ पर पानी पिलाने की नौकरी मिली। यहां पर तीन साढ़े तीन महीने तक जनता की सेवा करने वाले बांकसिंह को ईर्षालू लोगों ने नौकरी से पृथक करा दिया।

विकलांग बांक सिंह अपनी दुकान पर चाय बनाते हुए

शरीर से लाचार विकलांग बांकसिंह पुनः बेकार हो गया। लेकिन गंगाधर मठ के मठाधीश ने उसे सहारा दिया। वह मठ में पूर्व की भांति रहता, सेवा करता और नौकरी की खोज में फिरता रहता। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने समाजोत्थान का आह्वान किया। विकलांगों को सहारा देने की अनेक योजनाओं की उद्घोषणाएं हुईं तब बांकसिंह को सुखी जीवन जीने के सहारे की आशा बंधी।

अप्रैल 1983 में उसने बाड़मेर में खुलने वाले थार आंचलिक ग्रामीण बैंक का उद्घाटन समारोह देखा। उसे विश्वास हुआ कि बड़े बैंक मदद नहीं करते यह छोटा एवं ग्रामीणों के सहयोग के लिए खुला बैंक मेरी मदद अवश्य करेगा। वह बैंक की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली से परिचित होने लगा। एक दिन बैंक के व्यवस्थापक एम० आर० जैन के समक्ष उपस्थित हुआ और अपने बीते दयनीय, दुखी जीवन की दर्दभरी कहानी सुनाई। थार आंचलिक ग्रामीण

बैंक के व्यवस्थापक जैन ने सहारे का आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि उसे जुलाई 83 में दो हजार रुपये का चाय की दुकान करने के लिए ऋण सुलभ कराया। इस ऋण सुविधा के साथ उसे जिला विकास ग्रामीण अभिकरण से रु० 666.66 पैसे का अनुदान भी मिला। जिस दिन विकलांग बांकसिंह को ऋण मिला, उस दिन उसने गंगाधर के मठ में गुड़ बांटा और गायों को गुड़ खिलाया।

थार आंचलिक ग्रामीण बैंक का सहारा पाकर गंगाधर के मठ के पास फकीरों के कुएं के समीप अपनी चाय की दुकान खोल दी। प्रतिदिन आठ दस किलो दूध की चाय बांकसिंह अपनी लकड़ी की घोड़ी के सहारे पर खड़ा रह कर बनाता है और इसी घोड़ी पर चढ़-चढ़ कर चाय ग्राहकों तक पहुंचाता है। इसका अनुमान है कि प्रति मास दुकान का चालीस रुपये एवं मकान का बीस रुपये किराया और अपना खाना खाने एवं बैंक की किश्त जमा करवाने के पश्चात् वह प्रतिमास कुछ न कुछ बचा ही लेता है। अब वह खुश है क्योंकि उसे शहर से चाय का सामान खरीद कर लाने अन्यत्र आने-जाने के लिए सरकार की ओर से 775/- रुपये की विकलांग साईकल भी समाज कल्याण विभाग की ओर से मिली है।

उल्लास एवं उमंग से श्रम का जीवन जीने वाला विकलांग बांकसिंह अपने होटल पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कहता है—"विकलांग को सहारा दो—बढ़िया चाय पीकर जाओ"। लोग बड़े चाव से यहां आकर चाय पीते हैं। जब ग्राहकों की भीड़ होती है तो उसे बड़ा ही आनन्द आता है। इसके होटल के पास शराब की दुकान भी है लेकिन वह लोगों को शराब न पीने की भी सीख देता है। स्वयं राजपूत होकर शराब नहीं पीता है। जब उससे अपना स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए गृहस्थी बनने को पूछा तो मुस्करा कर कहा--"परिवार नियोजन सबसे बड़ा सुख है। मैं ऐसा जीवन बिताना अधिक पसन्द करता हूं।" ☐

जूनी चौकी का बास,
बाड़मेर, राजस्थान

गोमा भाई की अलार्म घड़ी

राठवा आदिवासियों का एक छोटा-सा गांव है—"मनावत", जो बड़ौदा जिले के छोटा उदयपुर तालुका मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है। गोमा भाई चीना भाई अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ यहां रहते हैं और उनके पास एक अलार्म घड़ी है जिसे उन्होंने अपनी दुकान पर बड़ी शान से रखी हुई है। वहां गांव में ऐसे 105 परिवारों में से उन पांच लोगों में हैं जिनके पास अपनी घड़ी है।

गोमा भाई एक सीमान्त किसान है। उसके पास सतपुड़ा पहाड़ियों के पथरीली क्षेत्र की 3.2 एकड़ असिंचित भूमि है। यहां पर खेती के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और भूमि से होने वाली उपज से उसके छोटे से परिवार का भी गुजारा नहीं होता था। कपड़े, सिलाई और जूते खरीदने जैसी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस उपज को बेचना उसके बल के बाहर था। किसी अन्य स्रोत से कुछ रुपये प्राप्त करना उसके लिए एक स्वप्न था पर मजदूरी का काम मिल जाने पर उसका यह सपना साकार हो गया।

परन्तु ये सब बातें अब भूली-बिसरी बातें हो गई हैं। वे सब एक बुने सपने की भांति भूली जा चुकी हैं। अब गोमा भाई की हालत पहले से भिन्न है। यह परिवर्तन दो वर्ष पहले 12 मार्च, 1982 को आया जब उसे अपने गांव में एक पंसारी की दुकान खोलने के लिए 1,000 रु० मिला। उसने एक सड़क के किनारे पर छोटासा शैड बनाया और साबुन, नमक, तेल, दालें, पैंसिलें और मोमबत्तियों जैसी घरेलू वस्तुएं खरीदने के लिए छोटा उदयपुर गया जहां सप्ताह में एक बार, शनिवार को बाजार लगता है।

उसने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए अपनी दुकान के बाहर दो लकड़ी के बेंच रख दिए तथा उसकी दुकान चलने लगी। उसकी दुकानदारी, खेती और बच्चों का स्कूल साथ-साथ चलता था। जब गोमा भाई और उसकी पत्नी खेतों में काम करती थी तो उनका बच्चा स्कूल से आने के बाद दुकान पर बैठता था। गोमा भाई की रोजाना लगभग 50 रुपये की बिक्री हो जाती थी। दो वर्ष पहले बैंक से प्राप्त किया गया 500 रुपये का ऋण उसने बहुत पहले पूरी तरह से अदा कर दिया है। उसे अन्य 500 रुपये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के रूप में दिए गए थे।

गोमा भाई की दुकान पर उसके अपने अनुमानों के अनुसार 2,000 रु० मूल्य की वस्तुएं रखी हुई हैं और उसे अपनी दुकान से घरेलू खर्च के लिए प्रति माह 250 रु० मिल जाते हैं। साथ ही साबुन और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं भी वह दुकान से लेता है। उसने 3,000 रुपये की एक भैंस भी खरीद ली है। इसके लिए उसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 रुपये की सहायता मिली।

जब वह अपनी दुकान के लाभ से खरीदी गई महत्वपूर्ण सम्पत्ति "घड़ी" को देखता है तो उसका चेहरा खिल उठता है। इस घड़ी ने उसको मनावत गांव के उन पांच महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल कर दी है जिनके पास अपनी घड़ियां हैं। ☐

सफलता की कहानी

दरिद्रता से सम्पन्नता की ओर

श्री होरी राम जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सैदपुर ग्राम इटहा के एक सीमान्त कृषक हैं। केवल 3.2 एकड़ असिंचित भूमि के मालिक और 18 सदस्यों के परिवार के कारण उनका जीवन आर्थिक संकटों से पूर्ण नितान्त दुखी था। इन्होंने बम्बई के कपड़ा मिल में कुछ दिन 120/–रु० मासिक वेतन पर काम किया था परन्तु उनके परिवार के भरण-पोषण की समस्या का समाधान फिर भी नहीं हो सका। अब वे आर्थिक दृष्टि से एक सम्पन्न एवं उन्नतिशील कृषक हैं और अपने क्षेत्र में काफी सम्मानित भी हैं।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर के आचार्य द्वारा पूछने पर कि उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में इतने बड़े परिवर्तन का क्या रहस्य है, उन्होंने बताया, "बम्बई से लौट आए तो हमारा सम्पर्क विकास खण्ड के क्षेत्रीय ग्राम सेवक से हुआ जिन्होंने शासन द्वारा सिंचाई सुविधा के लिए सहयोग तथा खेती की पैदावार बढ़ाने के उपाय की जानकारी कराई। तब हमने संकल्प किया कि अपनी खेती में सिंचाई की सुविधा का प्रसार करके अपने जीवन यापन हेतु केवल खेती ही संभालेंगे।"

उन्होंने बताया कि वर्ष "1963-64 में सब से पहले इन्होंने विकास खण्ड से 600/- रु० का ऋण, जिस पर 300/–रु० की छूट मिली थी प्राप्त करके अपने पैतृक कूप में एक रहट लगाया। इस प्रकार सिंचाई की सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर दो फसलें लेने लगे। पूरा क्षेत्र इस सुविधा का लाभ नहीं पा रहा था किन्तु, वह आगे प्रयास करते रहे। उन्हीं के शब्दों में "वर्ष 1967-68 में श्री वंश राज सिंह ग्राम सेवक से मेरा सम्पर्क हुआ जिन्होंने मेरी जिज्ञासा को देखते हुए मुझे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री त्रिवेनी सिंह से मिलवाया। उनके सहयोग से मुझे कलस्टर योजना के अन्तर्गत विद्युत प्राप्त करने की सुविधा तथा 6000/– रु० के ऋण से $7\frac{1}{2}$ हार्स पावर के पम्प सेट लगाकर सिंचाई की और अधिक सुविधा सुनिश्चित हुई। इसी बीच प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण योजना के अधीन मुझे चर्चा मण्डल के संयोजक के रूप में चुना गया जिसके माध्यम से मुझे नवीनतम उन्नत खेती से सम्बन्धित पत्रिकाएं पढ़ने तथा विभिन्न स्थानों पर उन्नत कृषि देखने का अवसर मिला और अब मैं गेहूं व धान 10–15 मन प्रति एकड़ से 40–45 मन प्रति एकड़ पैदा करने लगा हूं। मैं दरिद्रता से मुक्त हो गया हूं। मुझे देखकर ग्राम के अन्य कृषकों ने भी अनुकरण किया और अब ग्राम इटहा खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर है।"

उन्होंने बताया कि "बाद में श्री वंश राज सिंह ग्राम सेवक की प्रेरणा से मैं अपने यहां गोबर संयंत्र लगाने के लिए तैयार हुआ और खादी ग्राम उद्योग की सहायता से 1200 रु० की लागत से जिसमें 300/– रु० अनुदान भी प्राप्त हुआ संयंत्र तैयार कराया। मेरे संयंत्र की सफलता देखकर 1970 से 1977 के बीच—2 अन्य कृषकों ने भी संयंत्र लगाये। तत्पश्चात 1978–79 में बायोगैस के नए प्रसार का अध्ययन करके मैंने अपने तथा अन्य कृषकों के यहां 10 जनता बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कराया और इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्र एवं ब्लाक से वांछित सहयोग प्राप्त किया। बाद में पुनः 10 कृषकों ने संयंत्र स्थापित किए। इस समय छोटे-से ग्राम में मेरे प्रयास से 20 जनता बायोगैस तथा 4 गोबर गैस संयंत्र कार्यरत हैं। अन्य 10 कृषक भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं।"

श्री होरी राम ने बताया कि "ऊसर सुधार क्षेत्र में भी मैंने ग्राम के अन्य कृषकों के साथ 12 एकड़ जमीन को पाइराइट के प्रयोग से ठीक किया। इतने दिनों के निरन्तर सेवा भाव तथा निः स्वार्थ सहयोग से प्रेरित होकर इस बार ग्राम वासियों ने मुझे अपने ग्राम का निर्विरोध प्रधान चुन लिया है। इस पद का भी मैं सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास कर रहा हूं और थोड़ी ही अवधि में 4 कि० मी० सम्पर्क मार्ग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित कराया। स्पेशल कम्पोनेण्ट के अन्तर्गत तीन पम्पसेट हरिजनों के लिए तथा 32 बीघा भूमि में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कराया। मछली पालन के क्षेत्र में भी अपने यहां छोटे से तालाब में मछली पालन शुरू किया, जिसे देखकर गांव के अन्य किसान भी मछली पालन के लिए आगे बढ़ रहे हैं।"

इसी प्रकार श्री होरी लाल ने अपने प्रयत्नों से सफल होकर न केवल अपने परिवार को आर्थिक संकट से मुक्त कराया बल्कि उन्होंने सेवा भावना का परिचय देकर ख्याति और सम्मान भी अर्जित कर लिया है। उन्हें एक आदर्श कृषक नेता कहना अतिशयोक्ति न होगी। □

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

रवि कुमार भोला

भारतीय किसान जन्म लेते ही विरासत में ऋण प्राप्त करता है, अपनी सम्पूर्ण जिन्दगी उसी में व्यतीत करता है और अंत में उस "ऋण–भार" को उपने पुत्र को सौंप कर मर जाता है। आखिर इस ऋणग्रस्तता का क्या कारण है? अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण (1954) से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के 60 प्रतिशत व्यक्ति महाजनों के कर्ज में अपने पूर्वजों से लेकर अपनी मृत्यु तक दबे थे। ये महाजन इन दुर्बल ग्रामीणों से अत्यधिक ब्याज लेने के साथ-साथ इन्हें बंधुआ मजदूरी करने को भी विवश करते थे। इस तरह इन्होंने पूरे ग्रामीण समाज को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने सर्वोदय संघ की नींव इस हेतु डाली ताकि ग्रामीण समाज की उन्नति एवं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इतना ही नहीं सरकार द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति एवं कृषि विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गईं। उदाहरणार्थ 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा एंव विकास खण्डों की स्थापना, 1956 में पंचायत राज की स्थापना, सहकारिता आन्दोलन, संहकारी भूमि बंधक बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, किसान सेवा सहकारी समिति एवं वर्तमान में, लघु कृषक विकास एजेंसी, सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान इत्यादि।

प्रारम्भ में बैंकों की सेवाएं केवल बड़े–बड़े शहरों तक ही सीमित थीं, कस्बे और गांव इससे पूर्णतया उपेक्षित थे। इधर ये निजी बैंक कुछ गिने चुने बड़े उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। वर्ष 1951 तक सभी प्रकार के बैंकों की संख्या मात्र 566 थी जो देश की जन–संख्या की तुलना में नगण्य थी। वर्ष 1967 के सर्वेक्षण से यह बात प्रकाश में आई कि संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति कर्जो का लेन-देन महाजनों से करते थे एवं मात्र 25 प्रतिशत व्यक्ति ही बैंकों से लाभ उठा पाते थे। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बैंगलूर में कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया। इस अधिवेशन में किए गए निर्णय के आधार पर 19 जुलाई, 1969 को देश के 14 निजी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जो कि बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ ही सरकार ने इन बैंकों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। देश के निर्माण में ग्रामीण इलाकों की भूमिका का महत्व आंकते हुए सरकार ने इन बैंकों का ध्यान ग्राम्य सुधार एवं कृषि विकास योजनाओं की ओर दिलाया। इसकी प्रगति यह रही कि जहां जून, 1969 में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की मात्र 1,832 शाखाएं थीं, मार्च 1982 में बढ़कर 19,942 हो गईं। फलस्वरूप ग्रामीण ऋणों का अनुपात जो कि जून 1969 में कुल ऋणों का मात्र 1.5 प्रतिशत था मार्च 1982 में बढ़कर 10.6 प्रतिशत हो गया एवं ग्रामीण जमाएं कुल जमा का 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गईं।

लेकिन इस प्रगति से सरकार पूर्ण-रूप से संतुष्ट नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण था सामान्य ग्रामीण वर्ग को छोटे-छोटे ऋण देने में बैंकों की असमर्थता। इसके अतिरिक्त इन बैंकों के समक्ष दूसरी समस्या ग्रामीण-क्षेत्रों में लघु शाखाएं खोलने से संबंधित थी। क्योंकि इन शाखाओं के रखरखाव, कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते आदि का भार बैंक वहन करने में अक्षम थे। इसका कारण था कि इतनी कम अवधि में ग्रामीण वर्ग में रुपये पैसे बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाई थी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं घाटा दे रही थीं। दूसरी तरफ विद्यमान सहकारी बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे थे एवं सहकारिता में ऋण ढांचा, प्रबन्ध, ऋणोपरान्त निरीक्षण एवं ऋणों की वसूली आदि की स्थिति दयनीय थी और ये संस्थान पर्याप्त मात्रा में स्रोत संग्रह करने में भी असफल रहे थे, फलस्वरूप इनको मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः सरकार के समक्ष पुनः यह समस्या उत्पन्न हो गई कि ऐसी कौनसी वित्तीय संस्था खोली जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प व्यय पर अपनी शाखाएं खोलकर कृषक एवं निर्बल ग्रामीणों को छोटे-छोटे ऋण प्रदान कर सके एवं गांवों में प्रचलित महाजन-प्रथा का उन्मूलन कर सके।

ग्रामीण बैंकों की स्थापना

बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि सहकारी बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों के गुणों का संगम करके ग्रामीण बैंकिंग संरचना की स्थापना की जाए। 1975 में भूत-पूर्व वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् ने ग्रामीण उत्थान एवं कृषि विकास की समस्या पर ध्यान देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर अपना मत व्यक्त किया। इस संबंध में 6 अगस्त, 1975 को समस्त मुख्यमंत्रियों/वित्तमंत्रियों की एक बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया।

इस बैठक के निष्कर्षों एवं तत्कालीन बैंकिंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन 26 सितम्बर, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975" पारित किया गया, जिसके आधार पर गांधी जयन्ती 2 अक्तूबर, 1975 को भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। देश में सर्वप्रथम खोला जाने वाला ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में "प्रथम बैंक" के नाम से स्थापित किया गया। बाद में उपरोक्त अध्यादेश का स्थान 9 फरवरी, 1976 को संसद द्वारा पारित "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976" ने लिया।

ग्रामीण बैंकों के उद्देश्य

ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्बल वर्ग जैसे लघु/सीमान्त कृषकों, कृषक मजदूरों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों, भू-आवंटियों, लघु-व्यवसायियों, बेरोजगार नवयुवकों, थोक एवं फुटकर व्यापारियों, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों आदि को कृषि एवं गैर-कृषि कार्यों हेतु कम से कम ब्याज पर छोटे-छोटे ऋण सुलभ कराना है, जिससे एक ओर ग्रामीण समाज महाजनों के चंगुल से मुक्त हो सके एवं दूसरी ओर ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके। अपने कार्य संपादन द्वारा उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ग्रामीण बैंकों के व्यय में मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि इन बैंकों में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते आदि राज्य सरकार के तुलनात्मक समान स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बराबर रहेंगे।

प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त पूंजी एक करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है तथा बैंक पूंजी में भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत एवं प्रवर्तक बैंक का 33 प्रतिशत अंशदान निर्धारित किया गया है। बैंक का प्रबन्ध एक निदेशक मंडल के हाथ में होगा, जिसमें एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति भारत सरकार करेगी तथा अधिकाधिक 8 निर्देशित नियुक्त होंगे। इन बैंकों में जमा की जाने वाली राशि "डिपाजिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन" द्वारा सुरक्षित रहेगी। ग्रामीण बैंक आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आय, लाभ या प्राप्तियों से कर मुक्त रहेंगे।

ग्रामीण बैंकों की प्रगति

1975 में ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 6 थी एवं इनकी कुल शाखाओं की संख्या 17 थी जो 30 जून, 1981 को बढ़ाकर क्रमश: 102 एवं 3,784 हो गई है। दूसरे शब्दों में प्रति ग्रामीण बैंक, शाखाओं की संख्या, जो कि 1975 में 3 थी, बढ़कर 37 हो गई है। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वास्तव में ग्रामीण बैंकों ने तीव्रगति से सम्पूर्ण भारत में अपनी शाखाओं का विस्तार करके ग्रामीण वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनकी आर्थिक आय को बढ़ाने में पर्याप्त रुचि दिखाई है। ऋणों के वितरण में भी ग्रामीण बैंकों की भूमिका सराहनीय रही है। जून 1976 के अंत में ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल बकाया राशि 1.5 करोड़ रुपये थी जो कि जून 1981 को बढ़ कर 274 करोड़ रुपये हो गई। कुल बकाया राशि का 91 प्रतिशत भाग ग्रामीण बैंकों द्वारा छोटे एवं सीमांत कृषकों, कृषक मजदूरों एवं ग्रामीण शिल्पकारों के बीच वितरित किया गया। इसी प्रकार से इन बैंकों की जमाएं जून 1976 में 1.23 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1981 में 253 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

1975 में ग्रामीण बैंक राज्यों (उत्तर-प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल) के केवल एक-एक जिले तक सीमित थे। 30 जून 1981 तक 18 राज्यों के 167 जिलों में 102 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 3,784 शाखाएं सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थापित की जा चुकी थीं जिनमें 44,30,827 जमा खातों में 25,285.18 लाख रुपये की जमाराशि संगृहित की जा चुकी थी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्बल वर्गों के 24,00,720 व्यक्तियों को 30,245.45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के 275 जनपदों में 175 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, ताकि ग्रामीण-विकास में और तीव्र प्रगति लायी जा सके।

ग्रामीण बैंकों की प्रगति की समीक्षा हेतु जून, 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने यह समीक्षा प्रस्तुत की कि ग्रामीण बैंकों ने मात्र दो वर्ष की अवधि में उन उद्देश्यों को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रकट की है जिस हेतु उनकी स्थापना की गई थी। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन बैंकों की स्थापना के कार्य में तीव्रता लायी जानी चाहिए। इसी प्रकार का निष्कर्ष जेम्सराज समिति ने भी निकाला था। इन दोनों समितियों के निष्कर्ष के आधार पर भारत सरकार ने 5 जुलाई 1978 को ग्रामीण बैंकों के विस्तार की नीति घोषित की।

सुझाव

ग्रामीण बैंकों के विकास को तीव्र करने के लिए एवं उनके सुचारु संचालन हेतु निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं:—

(1) सर्वप्रथम प्रत्येक ग्रामीण बैंक को अपने क्षेत्र से संबंधित अग्रणी के साथ अधिकाधिक सहयोग एवं समन्वय बनाए रखना चाहिए था। जिससे ऋणों से संबंधित नीतियां सही ढंग से निर्धारित की जा सकें। इसके अतिरिक्त कृषक एवं कृषि श्रम अभिकरण, लघु कृषक विकास अभिकरण एवं सीमांत कृषक, कृषक मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार इत्यादि के साथ भी ग्रामीण बैंकों को उचित सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

(2) ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एवं ग्रामीण-वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु अधिकाधिक ऋण देना चाहिए एवं साथ-साथ उन ऋणों की अदायगी पर भी

पूर्ण ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः उत्पादन में हुई बढ़ोत्तरी का प्रयोग ऋणों की अदायगी में सहायक सिद्ध हो। बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों के प्रयोग पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(3) ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पश्चात् प्रायोजक बैंकों की संख्या में तो अवश्य वृद्धि हुई है फिर भी बैंक इन बैंकों की स्थापना के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं हैं। अतएव अनुसूचित बैंकों को इस हेतु शीघ्रातिशीघ्र प्रोत्साहित किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि ग्रामीण बैंकों के जाल का तीव्र-गति से विस्तार किया जा सके। प्रायोजक बैंक के लिए ये हितकर होगा कि वह अपनी सामर्थ्य एवं आकार के आधार पर ही ग्रामीण बैंकों के विकास में सहयोग दे।

ग्रामीण–विकास हेतु भारत में नियोजित ग्राम विकास नीति का आश्रय लिया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय है। यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1980 से सम्पूर्ण देश के 5011 विकास खण्डों में संचालित किया जा चुका है। इस हेतु छठी पंच-वर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त योगदान के अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के रूप में प्राप्त किए जाने की सीमा निर्धारित की गई है। नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विस्तार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर गांवों के विकास हेतु अनेक योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इन समस्त योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने हेतु ग्रामीण बैंकों का विशेष दायित्व है। इस दशा में यह अपेक्षित है कि ग्रामीण बैंकों के विस्तार कार्यक्रम में तेजी लायी जाए ताकि ये बैंक अपना दायित्व पूर्ण ईमानदारी एवं कुशलता से निभा सकें। □

सी० 13/178, औरंगाबाद
चौमुहानी, वाराणसी-221010

ग्रामीण युवकों की स्व:रोजगार योजना ट्राइसेम

एक सफल प्रशिक्षण

नन्द कुमार जौहरी

सम्बंधित व्यवसाय एवं प्रशासन में चुस्ती लाने तथा सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण को "एक प्रभावी इन्पुट" के रूप में माने जाने की बात हर स्तर पर स्वीकार कर ली गई है। इसलिए इसे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा "इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सिज" की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों ने प्रशिक्षणों को "परिवर्तन का आधार" एवं "राष्ट्रीय विकास की कुंजी" के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सच भी है कि प्रशिक्षण द्वारा उन प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों, चयनित लाभार्थियों की मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों तथा विचारों आदि में निश्चित परिवर्तन लाया जा सकता है जो बाद में उनके द्वारा विभागों जन संस्थाओं तथा उनके उद्योग व्यवसायों में उचित संतोष एवं कार्यकुशलता को तो बढ़ावा दे ही सकता है, साथ ही साथ जनता की सामान्य संतोष की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि कर सकता है और इस प्रकार देश के ग्रामोत्थान हेतु सर्वांगीण विकास के साथ-साथ सम्पूर्ण क्रांति लाने की बात भी द्रुत गति से सुनिश्चित की जा सकती है।

वास्तव में "प्रशिक्षण देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कम खर्च पर किया गया उच्च उत्पादकता का ठोस एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम" है। इसी कारण सभी देशों में प्रशिक्षण के महत्व एवं आवश्यकता को भली-भांति स्वीकार किया जा रहा है और उचित स्थान दिया जा रहा है। इसी क्रम में ट्राइसेम "ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ फोर सैल्फ एम्पलायमेंट" ग्रामीण युवक स्वतः रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है।

ट्राइसेम योजना एवं उसका स्वरूप

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह के लिए विवश छोटे तथा सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर, अकृषक मजदूर तथा ग्रामीण दस्तकार वर्ग में से 600 परिवारों का चयन किया जाता है जिसमें से 200 आई० एस० वी० तथा ट्राइसेम योजना में लिए जाने का प्रविधान है और इसी में से 40 परिवारों को ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत पुनर्वासित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ट्राइसेम योजना का शुभारम्भ जुलाई 1979 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में किया गया और 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवक/युवतियों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांवों के युवजन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाए जाएं ताकि वह गांवों में रहकर ही अपनी जिविका कमा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को कुटीर उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा इकाई का अपना निजि व्यवसाय स्थापित करने में सहायता दी जाती है जिससे वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए स्वतन्त्र रूप से अपना आर्थिक विकास कर सके।

योजना किन के लिए

योजना का लाभ केवल वे युवजन (युवक व युवतियां) उठा सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र

में स्थायी रूप से रहते हों और निम्न श्रेणियों में आते हों :—

(क) छोटे किसान

(ख) सीमान्त किसान

(ग) खेतिहर मजदूर

(घ) ग्रामीण दस्तकार

(ड) ऐसे लोग जिनके परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय 62/- रु० से कम हो।

उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों के बच्चे भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। आरम्भ में एक परिवार में से एक ही सदस्य चुनने की योजना है। चयन करते समय महिलाओं और अनुसूचित जातियों, जन-जातियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि योजना में कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु उद्योग व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की जा सकती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य नौकरी के योग्य बनाना या नौकरी दिलाना नहीं है। अतः लाभार्थियों का चयन अत्यन्त सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। उपयुक्त पृष्ठभूमि के सही लाभार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद अपना व्यवसाय स्थापित कर पाना संभव हो सकेगा। ग्राम स्तर पर उपयुक्त लाभार्थियों के चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं, पंचायत संस्थाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। ट्राइसेम के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन विकास खंडों के माध्यम से जिला एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कराए जाने के निर्देश हैं और अभिकरण ही जिले की मान्यता प्राप्त प्रशिक्षणसंस्थाओं हेतु ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन करेंगें। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिकरण के माध्यम से चयनित तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को आवंटित प्रशिक्षार्थियों को संस्तुति व्यवसायों में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभिकरण द्वारा ऐसे चयनित प्रशिक्षार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं प्राव-धानों के अनुसार (स्टाईपेन्ड, प्रशिक्षण व्यय, कच्चे माल के क्रय तथा टूलकिट हेतु) आवश्यक धनराशि प्रशिक्षण संस्थाओं को समय से सुलभ कराई जाएगी।

लाभार्थियों तथा व्यवसाय का चयन

लाभार्थियों की रुचि तथा उनकी व्यवसायी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्थानीय मांग तथा आवश्यकता के अनुरूप ऐसे व्यवसायों का चयन किया जाना चाहिए जिनके लिए पर्याप्त कच्चा माल सुलभ हो और जिसे प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। व्यवसाय ग्रामीण परिस्थितियों के अनुकूल हो। उनकी पूंजी आवश्यकता लाभार्थी परिवार की आर्थिक क्षमता के अनुरूप हो। व्यवसाय में श्रमिक शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करने की संभावना हो और उनके संचालन की प्रक्रिया लाभार्थी परिवार की शैक्षिक एवं पारम्परिक व्यावसायिक कुशलता से मेल खाती हो। प्रशिक्षण के बाद ऐसे व्यवसायों को प्रारम्भ करने में लाभार्थी की रुचि अधिक होगी।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

वैसे तो क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार कोई भी उपयुक्त उद्योग व्यवसाय इस योजना के अन्तर्गत चलाया जा सकता है। इस केन्द्र पर निम्नांकित उद्योग व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

1. हाउसवायरिंग
2. मोटर बाइंडिंग
3. कारपेन्टरी
4. ब्लेक स्मिथि
5. टीन स्मिथि
6. वैल्डिंग (इलेक्ट्रिक तथा गैस)
7. हैंड पम्प बोरिंग
8. स्टील पाईप से फर्नीचर तैयार करना
9. फाइबर ग्लास से सामान तैयार करना
10. कृषि रक्षा उपकरणों की मरम्मत तथा सेवा केन्द्र स्थापना
11. माली प्रशिक्षण
12. कृषि यंत्रों का निर्माण तथा मरम्मत
13. वायोगैस संयंत्रों की फिटिंग तथा राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को सुविधा

प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षार्थियों को 100/-रु० प्रति मास छात्रवृत्ति दी जाती है जिसे शासन द्वारा 150/- रु० प्रति मास कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 250/- रु० तक की लागत के टूलकिट भी अच्छे, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षार्थी को सुलभ कराए जा रहे हैं जिससे वह अपना रोजगार सुविधा पूर्वक प्रारम्भ कर सके। कुछ व्यवसायों के अन्तर्गत 500/- रु० तक के टूलकिट दिए जाने के संबंध में कार्य-वाही की जा रही है।

प्रशिक्षार्थियों को व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिए जाने की नियमित व्यवस्था की जा रही है। प्रशिक्षण की व्यवस्था, केन्द्र के कुशल एवं अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा तथा कुछ व्यवसायों के अन्तर्गत मास्टर मैकेनिक तथा अतिथि वार्ताकारों द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि ग्रामीण भाषा में ही प्रशिक्षार्थियों को अधिक व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कराया जाए; जिससे वह अपने उद्योग व्यवसाय में पूर्ण रूप से दक्ष हो सके।

छात्रावास में निशुल्क सुविधा प्रशिक्षार्थियों को सुलभ है। इसके अतिरिक्त सहकारी उप-भोक्ता भंडार के माध्यम से दैनिक-उपभोग की वस्तुएं उचित दर पर सुलभ कराई जाती हैं।

अभिभावकों से संपर्क करना भी इस केन्द्र की एक प्रमुख विशेषता है। प्रशिक्षण अवधि में ऋण प्रार्थना पत्रों का पूरा कराया जाना, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना तथा व्यावहारिक दक्षता बढ़ाने आदि का पूर्ण प्रयास एवं परिश्रम किया जाता है। उद्योग विभाग से उपलब्ध समस्त सुविधाएं प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे संबंधित प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण उपरान्त अपने व्यवसाय को आसानी से लगा सकें। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षार्थियों का सामयिक अनुश्रवण कराना भी इस केन्द्र की प्रमुख विशेषता है, फलस्वरूप काफी संख्या में प्रशिक्षार्थी अपने व्यवसाय में कुशलता से लगे हुए हैं और योजना के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे। □

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
लखावटी (बुलन्दशहर)

बस्तर में नारियल की खेती

आसमान को छूने की कोशिश करते हुए नारियल के वृक्ष दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।

नारियल का पेड़ कल्पवृक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है। नारियल का पेड़ मानव जाति के कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित है। हमारे लिए उसका हर भाग कल्याणकारी और उपयोगी है। नारियल का फल भोग के रूप में देवता को चढ़ता है तो मनुष्य भी कच्चा और पक्का दोनों रूपों में उसका उपभोग करता है। कच्चे नारियल का पानी अत्यन्त गुणकारी है तो नारियल के तेल को कौन नहीं जानता? उसकी जटाओं की रस्सी से चाहो तो हाथी बांध लो और पेड़ की लकड़ी का उपयोग गांव के पुल में कर लो या मकान बनाने में।

बस्तर और रायगढ़ जिले में नारियल की खेती का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। बस्तर जिले की जलवायु नारियल और काजू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। इसके लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान भी चाहिए 21 से 34 सेंटीग्रेड तक। उद्यानिकी विशेषज्ञों का मत है कि 750 मि०मी० वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में जिसका वार्षिक वितरण सामान्य हो, इसकी खेती भली भांति की जा सकती है। बस्तर जिला इन गुणों की पूर्ति करता है। नारियल बलुही, दुमट, हल्की भूरी, हल्की काली तथा लाल दुमट में भली भांति उपजाया जा सकता है।

नारियल की खेती "कैश क्राप" या व्यावसायिक फसल है। नारियल का पौधा लगाने के बाद करीब पांच साल में फल देने लगता है और करीब पचास वर्ष तक फलता है। ये फल साल भर निरन्तर रूप से मिलते रहते हैं और इनकी संख्या 70 से 100 तक होती है। अनुमान है कि एक एकड़ में नारियल की फसल से दस हजार रु० वार्षिक तक आय हो सकती है।

उद्यानिकी विभाग ने बस्तर की उपयुक्त जलवायु और आदिवासियों की रुचिरुझान को ध्यान में रखते हुए विगत दो वर्षों में नारियल की खेती को प्रोत्साहित किया है और इसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। इस अवधि में करीब 80 हजार नारियल के पौधे रोपे जा चुके हैं।

डा० ब्रजभूषण सिंह आदर्श

आदिवासी लघु सीमान्त, कृषकों को ये पौधे 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक किसान को कम से कम पांच पौधे लगाने हेतु प्रेरित किया गया है और उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी रोपे गए पौधों की देखभाल कर रहे हैं। अनुमान है कि पांच वर्षों के बाद बस्तर नारियल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण जिला बन जाएगा और एक करोड़ नारियल की पूर्ति में सहायक होगा। जिलान्तर्गत नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, केशकाल, सुकमा, गीदम, बीजापुर, जगदलपुर के निकटस्थ ग्रामों में नारियल के ये पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं और नयी संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं।

जिलाध्यक्ष श्री स्वरूप सिंह पोर्ते इस कार्यक्रम में गहरी अभिरुचि ले रहे हैं। वे बताते हैं कि जिले में इस वर्ष 175 एकड़ भूमि में नारियल का रोपण किया गया है। शासकीय स्तर पर जिले के समस्त 32 विकास खंडों में एक-एक एकड़ शासकीय भूमि में नारियल का रोपण किया जा रहा है। इससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चारामा में 40 हैक्टेयर में, माड़पाल में 10, लेंड्रा में पांच, जगदलपुर बस्तर मार्ग पर दस, कांकेर में पांच, बकावण्ड में तीन हैक्टेयर में शासकीय खर्च पर काजू का रोपण भी किया गया है।

नारियल का रोपण

नारियल की पौध रोपण करने के लिए 1×1×1 मीटर लम्बा, चौड़ा और गहरा गड्ढा तैयार कर उसे तालाब की सूखी मिटटी और मिश्रित खाद से बराबर-बराबर भाग मिलाकर भरना चाहिए। इसके साथ ही 50 ग्राम बी०एच०सी० 25 ग्राम एल्ड्रेक्स चूर्ण, 5% नीमखली 3 किलो के हिसाब से मिलाएं।

रोपण के लिए कम से कम 6 पत्तियों वाले पौधे अधिक उपयुक्त होते हैं। ये पौधे जून या जुलाई में वर्षा के प्रारम्भ में लगाने चाहिए।

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने बस्तर में नारियल की खेती का जो श्री गणेश किया है, उसने एक अनछुए क्षेत्र को स्पर्श किया है। □

संभागीय प्रकाशन कार्यालय
जगदलपुर (बस्तर)

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं ग्रामीण विकास

आर०सी० भटनागर

औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ पिछले दशक की एक महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि प्रारंभ में इस योजना की गति धीमी रही, धीरे-धीरे इसका विस्तार होता गया और इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना देश के सभी विश्वविद्यालयों में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्वपूर्ण अंग है और स्नातक स्तर के विद्यार्थी इसे एन० सी० सी० के विकल्प के रूप में ले सकते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है:–

1. औपचारिक शिक्षा के मूल स्वभाव में सुधार लाना ताकि पुस्तकों के अध्ययन पर दिए जाने वाले अनावश्यक बल को कम किया जा सके तथा ग्रामीण और शहरी जीवन की वास्तविक समस्याओं के सम्पर्क में लाकर विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि की जा सके।
2. कृषि तथा अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों का योगदान प्राप्त किया जा सके तथा
3. विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तर-दायित्व व अनुशासन की भावनाएं उत्पन्न करते हुए ग्रामीण जीवन के पुनर्गठन की दिशा में विद्यार्थियों का योगदान प्राप्त किया जा सके।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों का गठन किया जाता है। प्रत्येक इकाई में 100 विद्यार्थी होते हैं तथा इकाई के संचालन का दायित्व एक अथवा दो अध्यापक प्रोग्राम अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। प्रोग्राम अधिकारी अपनी इकाई के कार्यक्रम को प्रायः दो भागों में बांटते है:–

(अ) सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी कार्यकर्ता को एक वर्ष में 120 घन्टे कार्य करना पड़ता है तथा स्नातक उपाधि की प्राप्ति के दो वर्षों में नियमित कार्य करते रहने पर उसे 240 घन्टे का प्रमाण पत्र दिया जाता है। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को आस-पास के गांवों में स्वास्थ्य सफाई, वृक्षारोपण, प्रौढ़ साक्षरता, परिवार नियोजन तथा नशाबन्दी जैसे कार्यों से संम्बद्ध किया जाता है।

(ब) विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में एक अथवा दो बार, शरद अथवा ग्रीष्म अवकाश के दौरान दस दिवसीय कैम्पों का आयोजन किया जाता है जिनमें राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा अपनाए गए किसी निकटवर्ती गांव में सामान्य कार्यक्रम के किसी एक विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है। इसमें पर्यावरण सुधार, बाल स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, गूल सफाई, वृक्षारोपण तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य लिए जा सकते है।

विकास भूमिका

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के प्रोग्राम अधिकारी अपने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को निकटवर्ती गांवों में ले जाकर वहां की समस्याओं से अवगत कराते हैं। गांव के चुनाव में यह ध्यान रखा जाता है कि वहां के एक-दो छात्र कालेज के विद्यार्थी हों ताकि उनके माध्यम से ग्राम-निवासियों से सम्पर्क करने में सुविधा रहे। यह स्थानीय विद्यार्थी गांव और सेवा ईकाई के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम छात्र-छात्राएं गांव के सब परिवारों का सामान्य सर्वेक्षण करते हैं ताकि प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या शिक्षा व्यवसाय, भूमि स्वामित्व आदि की जानकारी प्राप्त की जा सके। व्यक्तिगत समस्याओं के स्थान पर समुदाय की समस्याओं को पृथक करने का प्रयत्न किया जाता है। यह विद्यार्थी कार्यकर्ता इन समस्याओं को प्रकाश में लाकर ग्राम-निवासियों तथा सम्बद्ध विकास अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं। यह अपने में एक बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि ग्राम-निवासी प्रायः समस्याओं से समझौता कर उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं और खंड विकास अधिकारी भी एक यांत्रिक दृष्टिकोण के अभ्यस्त होते हैं। इन समस्याओं के प्रति सम्बन्धित व्यक्तियों तथा अधिकारियों को जागरूक बनाकर ही इनके निवारण की भूमिका का निर्माण किया जा सकता है। अपनी

लगन और उत्साह द्वारा महाविद्यालयों के यह उत्साही युवक और युवतियां निरंतर ग्रामीण जीवन के सम्पर्क में रहकर अपने परिश्रम और सेवा भावना द्वारा प्रगति की दिशाओं की ओर संकेत कर सकते हैं और विकास प्राथमिकताओं के निर्धारण में खंड अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं।

कृषि एवं ग्राम-उद्योग

कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधार शिला है। कृषि उत्पादन की वृद्धि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है परन्तु यह तभी सम्भव है जब परम्परागत खेती व्यवस्था में सुधार लाया जाए और कृषि पुनर्गठन की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। कृषि विद्यालयों से सम्बद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयां तथा उनके प्रोग्राम अधिकारी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आधुनिक बीजों के प्रयोग, रासायनिक खाद की मात्रा, तथा सिंचाई की उन्नत व्यवस्था के उपायों को वह कृषकों तक पहुंचा सकते हैं। यह युवाशक्ति परम्परागत खेती के दोषपूर्ण ढांचे में परिवर्तन ला सकती है। यह विद्यार्थी कार्यकर्ता कृषकों को राष्ट्रीकृत व्यापारिक बैंकों से मिलने वाली साख सुविधाओं का भी ब्यौरा दे सकते हैं।

ग्रामीण कला कौशल के विकास तथा कारीगरों की उत्पादन तकनीकों में सुधार अथवा यन्त्रों तथा मशीनों की मरम्मत व देखभाल में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा

ग्रामीण वातावरण को बेहतर बनाने की दृष्टि से विद्यार्थी-कार्यकर्ता वृक्षारोपण का कार्य सरलता एवं उत्साह से सम्पन्न कर सकते हैं। गांव की सड़कों को समतल बनाने, पानी की निकासी में सुधार लाने तथा नालियों आदि की सफाई में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। छात्राएं ग्रामीण स्त्रियों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें घरों की सफाई और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता से अवगत करा सकती हैं। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की सूची बनाकर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के डाक्टर अधिकारी की सहायता से, यह छात्र-छात्राएं आंखों की बीमारियों की रोकथाम के लिए विटामिन "ए" की ड्राप्स, काली खांसी, डिपिथरिया तथा टिटनेस के विरुद्ध सुरक्षा हेतु ट्रिपल एन्टीजन व पोलियो की रोकथाम के लिए 'वैकसीन' का प्रबन्ध करा सकते हैं। चेचक और टी० बी० के टीकों की व्यवस्था का कार्य भी किया जा सकता है। यद्यपि इन कार्यों के लिए चिकित्सा केन्द्र के कार्यकर्ता नियमित रूप से गांवों में आते हैं परन्तु पिछला अनुभव इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थियों द्वारा उचित प्रोत्साहन दिए जाने पर ग्राम-निवासियों से उत्साहवर्धक सहयोग मिल जाता है। रुड़की के बी० एस० एम० कालेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने निकटवर्ती तीन गांवों—इब्राहिमपुर, सलेमपुर, पनियाला में विशेष कैम्पों के दौरान यह कार्य अत्यधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है।

साक्षरता और सामाजिक एकता

प्रौढ़ शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, स्त्री शिक्षा, औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी यह राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयां विशेष अभियान चला सकती हैं। प्रत्येक अंगूठा लगाने वाले अशिक्षित ग्रामीण निवासी को हस्ताक्षर करना सिखा कर न केवल उसकी हीन भावना को दूर किया जा सकता है बल्कि साक्षरता की पहली सीढ़ी की ओर भी अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना संभव है। इस कार्य के लिए खण्ड अधिकारियों से प्रारम्भिक लेखन की पाठ्य सामग्री वितरण हेतु प्राप्त की जा सकती है। इस क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली तथा साक्षरता निकेतन, लखनऊ का सहयोग भी प्राप्त है।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित विशिष्ट कैम्पों के अन्तिम दिन प्रायः विद्यार्थी कार्यकर्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिनमें ग्राम निवासियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन के अतिरिक्त ग्राम निवासियों के आपसी भेद-भाव को समाप्त करते हुए सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि के लक्ष्य की प्राप्त करना है।

इस समय देश में लगभग 2,500 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयां कार्य कर रही हैं जिनसे 4 लाख से अधिक विद्यार्थी सम्बद्ध हैं। यह इकाइयां अपनी युवा-शक्ति के प्रयोग से देश में शान्तिपूर्ण क्रान्ति की भूमिका का निर्माण कर सकती हैं। यदि हम इन सेवा-इकाइयों को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो यह हितकर होगा कि हम (1) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम को स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठयक्रम का अनिवार्य अंग बनाएं।

(2) एन० सी० सी० की पद्धति पर सेवा इकाइयों के विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को भी उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के प्रमाणपत्र दिए जाएं।

(3) जिस तरह सेवा के चयन में एन० सी०सी० के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है उसी प्रकार सार्वजनिक संगठनों तथा प्रतिष्ठानों में नियुक्ति के समय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(4) प्रोग्राम अधिकारियों की नियुक्ति में विशेष सावधानी दिखाते हुए केवल उन्हीं अध्यापकों को चुना जाना चाहिए जो स्वभाव से ग्रामीण समस्याओं में रुचि ले सकते हों और विद्यार्थियों का सही मार्ग दर्शन करते हुए उन्हें प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकते हों।

(5) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में लगाए जाने वालों को अध्यापन कार्य में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(6) इस कार्यक्रम पर किए जाने वाले व्यय में आवश्यक वृद्धि की जाए।

(7) इन इकाइयों को समस्त समाजसेवी संस्थाओं, स्थानीय अधिकारियों स्व-शासित संस्थाओं तथा सरकारी विभागों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना चाहिए। □

बी० एस० एम० कालेज
रुड़की

बिलासपुर जिले में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

के० एल० जैन

ग्रामीण जनता को जलाऊ लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी, बांस एवं चारे के लिए चरागाह की प्राप्ति हो सके, गोबर का खाद के रूप में अधिक से अधिक उपयोग हो सके, अप्रत्यक्ष रूप से भूमि की उर्वरकता बनी रहे, भूमि एवं जनसंख्या के साथ-साथ पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए पूरे राज्य में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का शुभारम्भ 16 जनवरी, 1983 को तकरी गांव से किया गया था।

बिलासपुर जिले में 10 वर्षों में 1.20 करोड़ वृक्ष

बिलासपुर जिले में कुल वन क्षेत्र 7974.097 वर्ग किलोमीटर है जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 40.5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले की जनसंख्या 30 लाख के लगभग है। जिसमें 4 लाख परिवार होने का अनुमान है। प्रत्येक परिवार की जलाऊ लकड़ी की न्यूनतम आवश्यकता प्रति वर्ष 20 क्विंटल की है अर्थात् जिले की वार्षिक आवश्यकता 80 लाख टन जलाऊ लकड़ी की है। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में वन क्षेत्र का विस्तार होना कठिन कार्य है। जिले में 23.19 प्रतिशत आदिवासी तथा 17.30 प्रतिशत हरिजन हैं। जिले के दक्षिणी भाग में स्थित उक्त जनता को घरेलू आवश्यकता के लिए वन उपज-ईंधन और चारा की अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ताकि आदिवासी और हरिजन जाति के लोगों को जलाऊ लकड़ी मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर, बिलासपुर जिले में फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से 3 वर्ष पूर्व सामाजिक वानिकी कार्य के लिए सर्वेक्षण किया गया था। सामाजिक वानिकी हेतु जिले में 2,30,293 अनाधिपत्य भूमि उपलब्ध हुई।

बिलासपुर जिले में दस वर्षों में 7500 हैक्टेयर क्षेत्र में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड़ 20 लाख सिरिस, सीख, पेल्टो फार्म, सुबबूल, टिम्बर, बबूल साजा, करी, महुआ आदि प्रजातियों के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

निजी रोपणियों को प्रोत्साहन

जिला बिलासपुर में स्थायी व अस्थायी पौधशालाएं सामजिक वानिकी हेतु प्राप्त की गई हैं, ये हैं, अरण्यिका, पदहाखार, पथरिया, मुंगेली, अकलतरा और बिल्हा। इसके अतिरिक्त तीन नई पौधशालाएं प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है—चुनचुनिया, गुनखरी, और मेलनाडीह। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी रोपणियों को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इसके अधीन जिस क्षेत्र में वनरोपण करने का प्रस्ताव है, उसी क्षेत्र के निजी व्यक्तियों को पौधशाला तैयार करने के लिए सुझाव एवं सहायता दी जाएगी। यह सहायता ग्रामवासियों को पोथीन, दोना, बीज, खाद एवं कीटाणुनाशक औषधियों के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। निजी पौधशाला ग्रामवासियों को अपनी आय बढ़ाने का एक स्रोत बनेगा। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अत्यन्त लाभदाई है। एक व्यक्ति एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 15 हजार पौधे तैयार कर सकता है, और बेच सकता है।

5 वर्षों के बाद वन रोपण क्षेत्र पंचायत को

प्रशासनिक दृष्टि से सामाजिक वानिकी की एक न्यूनतम इकाई एक पंचायत को माना गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व पंचायत, ग्राम में उपलब्ध पड़ती या अनाधिपत्य भूमि का सर्वेक्षण करती है और फिर ग्रामवासियों को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की पर्याप्त जानकारी देते हुए वनरोपण के लिए आग्रह करती है। गुण-दोष के आधार पर विविध चर्चाओं के पश्चात पंच अगनी नियमित बैठकों में प्रस्ताव पारित कर सामाजिक वानिकी कार्य हेतु उप संचालक सामाजिक वानिकी को प्रस्ताव प्रेषित करते हैं। इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिलाध्यक्ष को भेजकर सामाजिक वानिकी हेतु अपनी सहमति जिलाध्यक्ष को देते हैं। इसके पश्चात विभिन्न प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण कर जिलाध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत की समस्त अनाधिपत्य भूमि केवल रख-रखाव हेतु सामाजिक वानिकी इकाई को हस्तान्तरित करते हैं। सामाजिक वानिकी इकाई के अधिकारीगण प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामवासियों की न्यूनतम विस्तार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को कुछ वर्षों में रोपण कार्य हेतु निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात विविध जानकारी के आधार पर वृक्षारोपण हेतु पंचायत योजना तैयार की जाती है। यह योजना ग्राम पंचायत की जनसंख्या, खेती का क्षेत्र, मवेशियों की संख्या, पड़ती भूमि की मात्रा एवं विविध जरूरतमंद जानकारी के आधार पर विस्तृत आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि किन-किन क्षेत्रों में किन-किन प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं चारा उपलब्धता की दृष्टि से चरागाहों का विकास किया जाना है। इस योजना को एक किताब के रूप में छपाने के पश्चात उसकी प्रतियां पंचायत के पास विविध सदस्यों के साथ-साथ शासकीय विभाग के विविध अधिकारियों को भी दी जाती हैं।

उपर्युक्तानुसार रोपण कार्य हेतु स्थल का चयन करने के पश्चात् योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष में नियमित क्षेत्र में वनरोपण या चरागाह का विस्तार किया जाएगा तथा प्रति वर्ष यही क्रम जारी रहेगा। द्वितीय वर्ष में विगत वर्षों में किए गए रोपण क्षेत्र में रख-रखाव के साथ-साथ मरे हुए पौधों के स्थान पर दूसरा पौधा भी लगाया जाएगा।

इस प्रकार रोपित क्षेत्र का रख-रखाव पांच साल तक सामाजिक वानिकी द्वारा विभागीय व्यय पर किया जाएगा। पांच साल के पश्चात रोपण क्षेत्र ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात रोपण क्षेत्र का रख-रखाव पंचायत को ही करना होगा। इस प्रकार किसी भी एक पंचायत में आठ वर्ष तक योजनानुसार पौधा रोपण करने का प्रस्ताव होने पर समस्त क्षेत्र का कार्यभार छठवें साल से लेकर तेरहवें साल तक पंचायत को ही हस्तान्तरित किया जाएगा। उपर्युक्त समयावधि में रोपण क्षेत्र में तैयार होने वाले समस्त घास-चारा आदि का उपयोग पंचायत कर सकती है, परन्तु रोपित किए गए वृक्षों का वनवर्द्धनिक दृष्टि से रख-रखाव करना होगा तथा उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी।

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र वन रोपण के बाद पंचायत को हस्तान्तरित होने पर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसका रख-रखाव करना पंचायत का ही दायित्व होगा। इस दायित्व के एवज में पंचायत वन क्षेत्र से प्राप्त समस्त वन उपज का दोहन नियमित रूप से कर सकेगी तथा उनमें से जो भी आय होगी वह आय पंचायत की आय होगी। तात्पर्य यह है कि शासन इस योजना के अन्तर्गत पंचायत में उपलब्ध अनाधिपत्य क्षेत्र, पौध रोपण करने के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब कुल वन भूमि रख-रखाव एवं उपयोग हेतु पंचायत को सौंप देते हैं।

घास रोपण से कृषकों की आय में वृद्धि

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामवासियों से सम्पर्क कर अपने बाड़ी, खेत-खलिहान एवं कम उपजाऊ भूमि पर वृक्ष-बांस एवं घास लगाने एवं उससे प्राप्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों की जानकारी ग्रामवासियों को देते हैं। ग्रामवासी सामाजिक वानिकी से अनुपजाऊ भूमि पर द्रुत गति से बढ़ने वाली घास का रोपण कर कृषि क्षेत्र में आय बढ़ा सकते हैं।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का लाभ महीने दो महीने में दिखाई नहीं पड़ता। आज लगे पौधों को एक वृक्ष का रूप धारण करने में समय लगता है, जो कि पांच से दस वर्षों तक हो सकता है। इस समयावधि में पौधों का रख-रखाव एक जटिल समस्या है। लगने वाले पौधों को जानवरों से बचाना भी एक कठिन कार्य है।

यदि ग्रामवासी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अपनाएं तो निश्चित ही यह गांवों के बहुमुखी विकास का मुख्य स्रोत बन सकता है। □

उप संचालक,
प्रकाशन
बिलासपुर (म० प्र०)

पंचायत राज

सदियों से हम खोज रहे थे, इस पंचायती राज को।
किन्तु क्या पाया अब तक हमने, सच्चे ग्राम स्वराज को।
चर्चा परमार्थ की करते, किन्तु लगे स्वार्थ में रहते।
गांवों में होते अन्याय, आंख मीच कर रूढ़ि सहते।
प्रमुख चुना, सरपंच चुना और चुना प्रधान।
चुने न अब तक हमने किन्तु सच्चे तथा नेक इंसान।
बापू के भारत में रहते, नहीं पालना उनकी करते।
शोषण हैं गांवों में होते, बीस सूत्र पर ध्यान न धरते।
पंचायत समिति को खोला और विधानागार।
किन्तु नहीं खोला अब तक पाषाणी दिलद्वार।
राजनीति गांव में अब तो, भेदभाव आपस में करते।
बातें धर्म-कर्म की करते, नेक राह पर कभी न चलते।
पैसा पाया, प्रतिभा पाई, पाया है विज्ञान को।
खिला न पाए अब तक लेकिन राम राज उद्यान को।
बहुजन हित निर्माण भावना हो पंचायती राज में।
सच्चा लोक तंत्र आएगा बीस सूत्र के काम से।
बापू के सपनों का भारत तभी बनेगा।
हर भारतवासी के घर में जब खुशियों का दीप जलेगा।

बलवन्त सिंह हाड़ा,
पंचायत प्रसार अधिकारी,
झालावाड़ (राजस्थान)

पहला सुख निरोगी काया

केला खाइए, सेहत बनाइए

* ललन कुमार प्रसाद

आजकल लोग स्वस्थ रहने के लिए रंगीन लेबलों से युक्त शीशियों या बोतलों में बन्द द्रव, बहुरंगी स्ट्रिपों में बन्द कैप्सूलों या टेबलेटों एवं अनेक प्रकार के पाउडर या चूर्ण का उपयोग टानिकों के रूप में बहुत ज्यादा करने लगे हैं जबकि प्रोटीनों, विटामिनों, खनिज लवणों आदि का अक्षय भंडार फलों में है। केला बहुत थोड़े से उन फलों में से एक है जो बारहों महीने उपलब्ध रहता है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ यह एक सस्ता फल भी है। अतः हम कह सकते हैं कि केला जन साधारण का फल है।

केला 'मूजैसी' परिवार का एक पौधा है। अंग्रेजी में इसका नाम 'बनाना' तथा लैटिन में 'मूजा सैपिरन्टम' है।

भारतीय संस्कृति का प्रतीक—केला

भारतीय संस्कृति में केले का महत्वपूर्ण स्थान है। खम्भे जैसा इसका तना (केलस्तम्भ) शोभा और समृद्धि का प्रतीक है। यज्ञ, पूजा, विवाह आदि मंगल अवसरों पर केले के ही तनों और पत्तों से मंडप सजाए जाते हैं। हमारे संत और ऋषि केले की छाया में ही प्रवचन, यज्ञ आदि करते थे और यही कारण है कि आज भी शुभ कार्यों में इसका महत्व कम नहीं है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में देवताओं की पूजा तथा अनेक अनुष्ठानों में केले को प्रधान स्थान दिया गया है। अतिथ्य-सत्कार में भी केले का उपयोग भारतीयों द्वारा प्राचीन काल से होता रहा है। महाभारत में विदुर की पत्नी द्वारा भगवान कृष्ण को केले के छिलके खिलाने के मार्मिक वर्णन को भुलाया नहीं जा सकता।

पोषक तत्वों का भण्डार—केला

केले में शरीर के लिए आवश्यक प्रायः सभी तत्व भरे पड़े हैं। उनमें मुख्य हैं—प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैलशियम, पोटैशियम, मैगनीशियम, लोहा, तांबा, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन तथा ए, बी, सी सहित ग्यारह विटामिन। विटामिन 'सी' की मात्रा तो केले में उतनी ही होती है जितनी की सेव में। इसमें शर्करा तथा [illegible] भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा भी अन्य समस्त फलों से कहीं अधिक होती है। केले के 100 ग्राम गूदे से 135 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।

पके केले का अभिप्राय

आप जब भी पका केला लें, पूर्णतः पका केला ही लें। केवल पीला छिलका देखकर उसे पका नहीं समझना चाहिए। पूर्णतः पके केले का मतलब है कि उसका छिलका कोमल, सुगंधित एवं आसानी से उतरने वाला हो। पके केले की सुगंध एमाइल एसीटेट नामक द्रव के कारण होती है।

केले को पकने के लिए पेड़ पर नहीं छोड़ते

प्रकृति की यह अदभुत कारीगरी है कि उसने केले के मधुर गूदे को जीवाणुरोधक आवरण प्रदान किया है। केले के छिलके में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जो कि कीटाणुओं के अस्तित्व के लिए विष का काम करते हैं जिससे कि वे केले के गूदे को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। यही कारण है कि जब केले के गुच्छे हरे ही रहते हैं तभी उन्हें पेड़ से उतार लेते हैं। यदि केले को पेड़ पर पकने दिया जाए तो फल का छिलका फटकर कीड़े पड़ जाने का खतरा रहेगा तथा फल में महक नहीं रहेगी।

केले की रोटी

कच्चे केले को सुखाने के बाद पीस कर आटा भी बनाया जाता है। अमरीका और ब्राजील में 'बनाना पाउडर' (केले का आटा) बहुत लोकप्रिय है और इसलिए वहां इसकी खपत भी अधिक है। यह आटा अति स्वादिष्ट, अधिक पौष्टिक तथा शीघ्र पचने वाला होता है। यह आटा विशेष खनिज तत्वों की दृष्टि से अधिक समृद्ध होता है। जहां गेहूं में खनिज लवणों की मात्रा 0.5 प्रतिशत होती है, वहीं इस आटे में इसकी मात्रा 2.50 प्रतिशत होती है। इसकी रोटी वायु-विकार दूर करती है।

केले से निर्मित कुछ अन्य भोज्य-पदार्थ

केले को सुखाकर अंजीर की तरह भी खाया जाता है। केले से जैम, शरबत, हलवा आदि स्वादिष्ट पदार्थ भी बनाए जाते हैं। केले का मुरब्बा, बनाना-सिरप आदि चीजें भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। पका केला अन्य फलों के सलाद के साथ बढ़िया चाट का आनन्द देता है।

केले के वृक्ष का हर भाग उपयोगी

केला, कच्चे और पके दोनों रूपों में प्रयुक्त होता ही है। लेकिन फलों के अतिरिक्त केले का अन्य भाग भी बहुत उपयोगी है। फूलों के गुच्छे और फलों के डण्ठल की स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसके लम्बे-चौड़े मुलायम पत्तों से खाने के पात्र (पत्तलें) बनाए जाती हैं। इसके तने को जानवर खाते हैं। तने के रेशे से कागज और कपड़े बनाए जाते हैं। जूट (पाट) की रेशों की तुलना में केले के रेशों की कीमत दुगुनी होती है। पश्चिमी अफ्रीका में धूप में सूखे केले के छिलकों से साबुन बनाया जाता है। केले के वृक्ष का शायद ही कोई ऐसा भाग होगा जो उपयोग में न आता हो।

केला—पौष्टिक भी, औषधि भी

आंत-कृमियों का नाशक—केला

वैज्ञानिकों ने खोज द्वारा पता लगाया है कि केला आंतों के कृमियों और रोगाणुओं के लिए तो मृत्युदूत ही है। अतः केला जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की गई आंतों के रोगों में प्राकृतिक औषधि के रूप में काम में लाया जाता है। यही नहीं, यह आंतों की सड़न को भी रोकता है।

बच्चों के लिए उत्कृष्ट भोज्य-पदार्थ

केले में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आलू में भी होते हैं। पर आलू में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होते हैं। जबकि पके केले में यह स्टार्च उन शर्कराओं के रूप में हैं जो छोटे बच्चे को भी जल्दी पच जाती हैं। केले और दूध का आहार बच्चों के लिए आदर्श भोजन है। इससे उनकी बाढ़ अच्छी होती है तथा उनके दांत मजबूत एवं मोतियों की तरह सफेद होकर चमचमाने लगते हैं। स्तनपान छुड़ाने के बाद बच्चों को एकाएक भोजन न देकर केले और दूध का आहार देना उत्तम है।

डाइबिटीज में भी गुणकारी

केले में अल्ब्युमिन बहुत कम मात्रा में (100 ग्राम में केवल 1.5 ग्राम) होता है जिसके कारण यह डाइबिटीज के रोगियों के लिए भी पथ्य है। यह देखा गया है कि केले के आहार के बाद पेशाब में उतनी शर्करा नहीं पाई जाती, जितनी कि साधारण खाए जाने वाले अनाज के भोजन के बाद पाई गई।

पेट की अनेक व्याधियों के लिए गुणकारी

पेचिश की हालत में केले के पथ्य का अचूक लाभ सर्वविदित है। यदि पके केले को दही के साथ मिला दिया जाए तो इन रोगों के इलाज में कभी असफलता हाथ नहीं लगती। बच्चे को भी पेचिश एवं दस्त की हालत में यदि केले को क्रीम की भांति कूटकर खिलाया जाए, तो उन्हें अवश्य लाभ होता है। फेंटे हुए केले में थोड़ा सा नमक मिला कर खाने से भी पेचिश में लाभ होता है। अजीर्ण या मंदाग्नि से पीड़ित रोगी, जो किसी भी स्टार्च को आसानी से नहीं पचा सकते, केले के कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचा लेते हैं। यानी कमजोर पाचन-शक्ति वाले लोगों के लिए केला वरदान है। यह भ्रम है कि केला देर से पचता है। भरपेट केले खाकर आधी इलायची खा लेने से केले तुरन्त पच जाते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि केला सुपाच्य, पौष्टिक और शीतल होता है।

एनीमिया (रक्ताल्पता) में भी लाभकारी

केले में लोहा और तांबा तत्व ऐसे रासायनिक रूप में हैं कि वे शरीर में शीघ्र ही रक्त तत्व हेमोग्लोबिन के बनने में प्रयुक्त होते हैं। अतः एनीमिया के रोगियों के लिए केला विशेष गुणकारी है।

वजन घटाता भी है और बढ़ाता भी

यदि कोई केले के ही आहार पर रहे तो कई पौण्ड वजन घट जाता है। परन्तु यदि केले के साथ दूध को मिला दिया जाए तो यह पूर्ण एवं संतुलित भोजन हो जाता है। जो लोग मोटा होना चाहते हैं उनके लिए इससे बढ़कर कोई दूसरी दवा या खाद्य-पदार्थ उपलब्ध नहीं।

कई अन्य रोगों के लिए अति गुणकारी

केले में प्रचुर मात्रा में कैलशियम, मैगनीशियम, फास्फोरस, तांबा, सल्फर, लोहा आदि खनिज तत्वों के होने के कारण यह रक्त की क्षारीयता को बढ़ाता है और एसिडोसिस, वातरोग, गठिया आदि जैसे अम्ल जनित रोगों को दूर करता है।

दक्षिण अमरीका के डा० माहेल्वो के अनुसार केले का रस क्षय, जुकाम, खांसी, कफ, पेचिश, भूख की कमी आदि अवस्थाओं में अपना आश्चर्यजनक और लाभप्रद प्रभाव दिखाता है।

आयुर्वेद के अनुसार पका केला बल तथा कांति को बढ़ाता है। वात, कफ और रक्तपित्त को शांत करता है, प्रमेह नष्ट करता है। प्रदर रोगों को नष्ट करता है, प्यास को शांत करता है। यह सोम-रोग, जिसमें स्त्रियों को बहुत पेशाब आता है, की उत्कृष्ट दवा है।

केले में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट होने से यह गुर्दे की बीमारियों में भी लाभदायक सिद्ध होता है।

केले में विटामिन 'एच' (बायोटिन) भी है जिसके अभाव से शरीर में खुजली, गंजापन, चर्मरोग, आलस्य, थकावट आदि लक्षण पैदा होते हैं।

केले में विद्यमान विटामिन 'सी' हमें संक्रामक रोगों से बचाता है और विटामिन 'सी' स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसमें विटामिन 'बी-काम्पलेक्स' भी होता है, जिसके कारण पेलाग्रा जैसे रोग की रोकथाम और उसकी चिकित्सा में भी परम उपयोगी है।

अतः सहज ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वास्थ्य और सौन्दर्य को बनाए रखने के लिए हमें केले को अपने भोजन में अवश्य स्थान देना चाहिए। □

प्राचीन भारतीय इतिहास
और पुरातत्व विभाग,
पटना विश्वविद्यालय,
पटना-800004

केन्द्र के समाचार

अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभ

अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, बिहार में, वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले दस महीनों में अनुसूचित जनजाति के 67,159 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। यह लक्ष्य का 185.44 प्रतिशत है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन द्वारा 2 लाख 88 हजार 38 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जोकि लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख 21 हजार 30 श्रम दिवसों की उपलब्धि हुई, जो कि लक्ष्य का 54.83 प्रतिशत है।

राज्य में दिसम्बर, 1983 तक ही दस करोड़ 40 लाख के निर्धारित लक्ष्य से 29 लाख अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं।

89 परियोजनाएं स्वीकृत

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय संस्वीकृति समिति ने, हाल ही में शुरू किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1984 तक 1983-84 और 1984-85 के लिए 327 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 89 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अनुमोदित परियोजनाओं में ग्रामीण सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, स्कूल भवनों का निर्माण, पेयजल की सुविधाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आवास तथा सामाजिक वानिकी और भूमि एवं जल संरक्षण कार्य शामिल हैं।

श्रीमती मैमूना सुल्तान तथा श्री नरेन्द्र सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों को परियोजनाएं एवं अग्रिम आयोजना तैयार करने के लिए वर्ष 1984-85 के लिए सूचित अनन्तिम प्रावधान 500 करोड़ रुपये का है। अंतिम आवंटन 1984-85 के बजट के अनुसार किए जाएंगे। वर्ष 1983-84 के लिए राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों को 100 करोड़ रुपये की धन राशि आवंटित की गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु जारी अनुदेशों के अनुसार 20-सूत्री कार्यक्रम और/अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करें तथा इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

ग्रामीण परिवारों को सहायता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में वर्तमान वित्त वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान 1,52,210 परिवारों को सहायता दी गई। इन लाभान्वित परिवारों में 36,668 अनुसूचित जातियों तथा 17,754 अनुसूचितजन जातियों के परिवार शामिल हैं। इसी अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लाभ हेतु 79.76 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए। जनवरी 1984 तक 637 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा ग्रामीण लोगों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में 5,092 गोबर गैस संयंत्र लगाए गए। इसी तरह सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 44,103 पम्पसैटों को बिजली दी गई। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 228 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 700 स्वास्थ्य उप केन्द्र भी स्थापित किए गए।

स्वरोजगार योजनाएं

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैंकों ने 21,434 आवेदनों के लिए 36 करोड़ 57 लाख रु० की ऋण राशि स्वीकृत की है।

विभिन्न राज्य सरकारों/जिला औद्योगिक केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31 जनवरी, 1984 तक इस संदर्भ में 8 लाख 89 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्य दल द्वारा 1 लाख 64 हजार आवेदन बैंकों को भेज दिए गए।

यह जानकारी राज्य सभा में उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस० वी० पी० पट्टाभिरामाराव ने सदस्यों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 1983-84 में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों में ऋण वितरण के लिए 3 अरब 25 करोड़ रु० का प्रावधान रखा है। स्वीकृत ऋण की 25 प्रतिशत तक राशि बजट के संसाधनों से भी जुटाई जाएगी।

इस योजना की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि इस योजना में वे सभी युवक आते हैं जो मैट्रिक पास हैं या उससे अधिक और जो 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 1983–84 के दौरान लगभग 2.5 लाख शिक्षित युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह योजना वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को छोड़कर देश के सभी क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि जिला स्तर पर योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला औद्योगिक केन्द्रों को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 25 हजार रु० तक का ऋण, योजना के अंतर्गत आने वाले लाभभोगियों को उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए बिना किसी समान्तर प्रत्याभूमि के दिया जाएगा।

ग्रामीण श्रमिकों को रियायती दर पर खाद्यान्न

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत काम कर रहे श्रमिकों को वेतन के आंशिक भुगतान के रूप में रियायती दरों पर प्रतिदिन एक किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने लोक सभा में श्री भीम सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को बताया कि चालू वर्ष के दौरान श्रमिकों को रियायती दरों पर लगभग एक लाख टन और अगले वर्ष लगभग 6 लाख 50 हजार टन खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। प्रति वर्ष लगभग एक तिहाई मात्रा चावल और दो तिहाई मात्रा गेहूं के रूप में होगी।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने राज्य सभा को बताया कि देश में हाल ही में शुरु किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए छठी योजना में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी तथा श्रीधर वासुदेव धाबे के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि इस नई योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाएगी। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 करोड़ रोजगार के श्रम-दिनों का सृजन किए जाने का विचार है तथा वर्ष 1984-85 के लिए 3 करोड़ श्रमदिनों के सृजन का लक्ष्य है।

मंत्री महोदय ने कहा कि इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) भूमिहीन ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा उनमें सुधार करना, ताकि हर भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक का रोजगार दिया जा सके; तथा (2) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी।

नए 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति

उड़ीसा ने इस वर्ष जनवरी माह के अंत तक नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चार कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के बराबर या अधिक प्राप्त करके उल्लेखनीय कार्य किया है। इस राज्य ने 5,060 के लक्ष्य की तुलना में 5,599 समस्या-ग्रस्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के पहले दस महीनों में 39,456 बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए आवासीय खंड आवंटित किए हैं। इस राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आई० सी० डी० एस० ब्लाक्स खोलने के अपने लक्ष्य का शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 9,058 आवास उपलब्ध कराकर लक्ष्य का 99.4 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है एवं वृक्षारोपण के लक्ष्य का 97 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। 220 दुकानों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में राज्य में 211 उचित दर की दुकानें खोलकर लक्ष्य का 96 प्रतिशत प्राप्त किया।

उड़ीसा राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है, गरीबी दूर करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। पिछले जनवरी माह में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के पहले दस महीनों में 32,480 अनुसूचित जनजाति एवं 28,000 अनुसूचित जातियों सहित 1,34,674 व्यक्ति समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं, जो कि लक्ष्य का 71.4 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 86,77,000 जन दिवस के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए। उड़ीसा की छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4 लाख अनुसूचित जाति एवं 5 लाख 50 हजार अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता देने के लिए विभिन्न आय जुटाने वाली योजनाएं बनाने का कार्यक्रम है। विशेष कंपोनेंट कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आर्थिक सहायता के माध्यम से 65,450 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता दी गई है।

60 हजार दस्तकार आधारित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य में 55,000 से अधिक इकाइयों के खोले जाने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। □

ट्राइसेम का जीवन स्तर उठाने में योग

श्रीमती बसन्ती देवी एक विधवा महिला है। इनकी उम्र इस समय लगभग 33 वर्ष है। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व श्रीमती बसन्ती देवी अपनी पहाड़ी खेती पर निर्भर थी। भूमि सभी असिंचित थी। यह एक सीमान्त कृषक महिला है। जिसके पास केवल 5 नाली असिंचित भूमि है। परिवार की यह मुखिया है। इसके अतिरिक्त 3 बच्चे इनके पास हैं। जो 16 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिनमें दो लड़कियां हैं। बच्चों की पढ़ाई व घर के आर्थिक कार्यों का सम्पूर्ण भार इसी के ऊपर है।

वर्ष भर में कृषि उत्पादन कुल लगभग 5 क्विटल है। जिसमें गेहूं, मडुवा, धान, दाल आदि सम्मिलित हैं। पशु इनके पास भैंस है जो कि 1 किलो दूध देती है। दूध अपने ही उपयोग में लाया जाता है। बसन्ती देवी के स्व० पति जो कि पंचायत राज विभाग में पंचायत सेवक पद पर थे, आज से 10 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनकी परिवार पेंशन से मात्र 75–00 रु० मासिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल मासिक आय 150–00 रु० से अधिक नहीं है। जबकि परिवार में 4 सदस्य हैं। इस प्रकार प्रति सदस्य आय 36–00 रु० प्रति माह होती है।

इस प्रकार श्रीमती बसन्ती देवी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। इसके सुधार हेतु विकास खण्ड पौड़ी के कर्मचारियों ने ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत इन्हें मशीन द्वारा ऊनी वस्त्रों की बुनाई के प्रशिक्षण हेतु चुना तथा दो माह का अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिनांक 1–4–1981 से 31–5–1981 तक प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी में भेजा। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी से सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनको बुनाई मशीन हेतु 4500–00 रुपये का ऋण विकास खण्ड पौड़ी से स्टेट बैंक द्वारा दिलाया गया। जिससे सिमेक मशीन तथा अन्य साज-सज्जा सामग्री खरीदकर इन्होंने अपना रोजगार प्रारम्भ किया।

श्रीमती बसन्ती देवी प्रशिक्षण काल में ही बड़ी मेहनती थी। अपना रोजगार भी बड़ी मेहनत से प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में वह महिला औसतन 1 स्वेटर बुनती थी लेकिन अपनी मेहनत एवं अनुभव से वह इस समय 3 स्वेटर तक बुनती है। क्योंकि बुनाई में हाथ साफ है, इस कारण 1–50 पैसा प्रति औंस के हिसाब से पारिश्रमिक मिल जाता है। इस प्रकार माह में खेती के अतिरिक्त शुद्ध आय प्रति माह 200–00 रु० हो जाती है। जिससे यह 50–00 रु० प्रति माह ऋण की किस्त अदा करती है। बुनाई हेतु कार्य पौड़ी जिले की रेडीमेड स्वेटर बेचने वालों की दुकानों से तथा गांव में घर के व्यक्तिगत सम्पर्कों से प्राप्त होता है।

इस प्रकार स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस महिला ने अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा कर लिया है। तथा अपने बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से चलाकर अच्छा जीवनयापन कर रही है। □

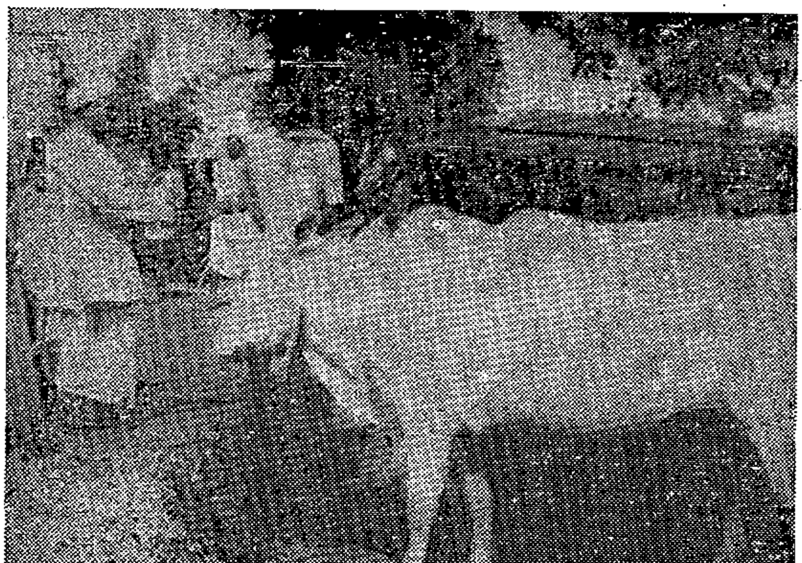

वित्त वर्ष 1983-84 के पहले साढ़े नौ महीने के दौरान बिहार में लगभग 2.5 लाख परिवारों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभ उठाया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को भेड़ें तथा दुधारू पशु आदि दिए गए।

आर० एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-Payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

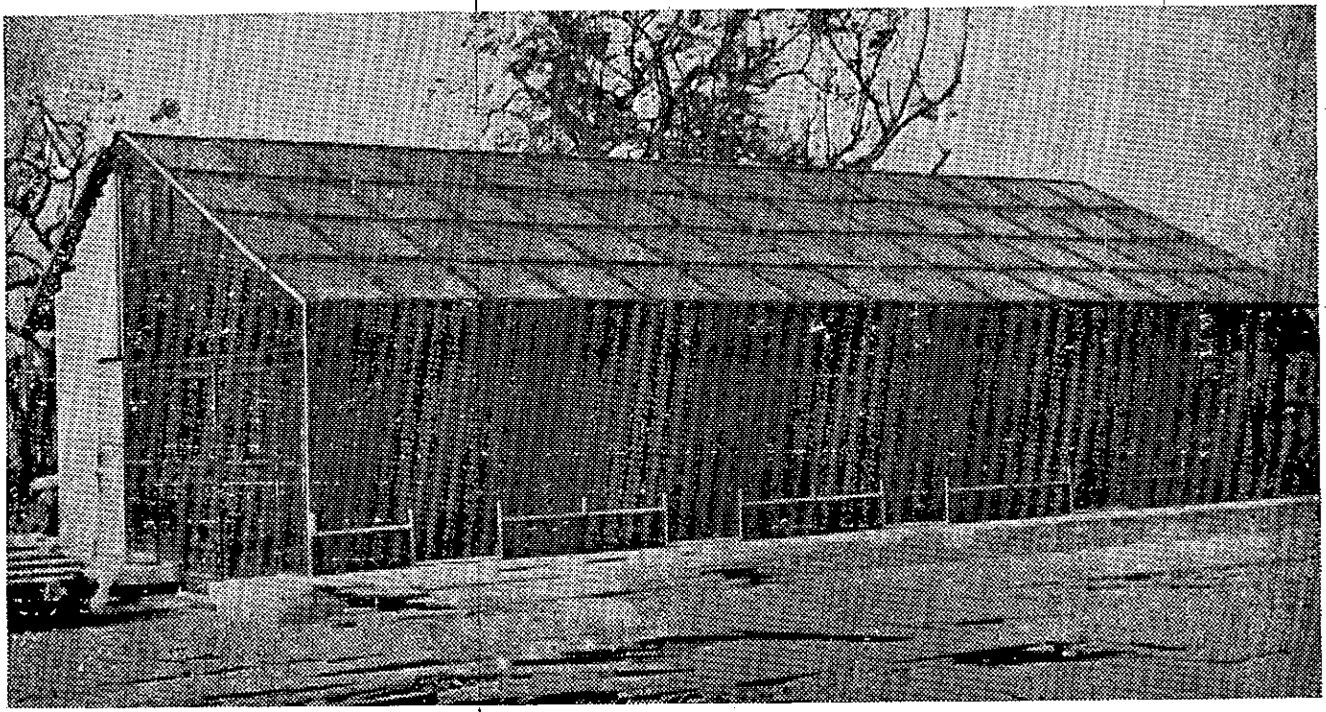

लकड़ी सुखाने के लिए सौर ऊर्जा

पिछले एक वर्ष से नई दिल्ली स्थित जंगपुरा में देश की सबसे बड़ी सौर भट्टी में सूर्य की किरणों से इमारती लकड़ी को सुखाया जा रहा है।

इस भव्य सफलता से प्रोत्साहित होकर भट्टी के निर्माता मैसर्स हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड (एच० पी० एल०) ने देश के किसी भी कोने में इस प्रकार की भट्टी का निर्माण करने के लिए अपने सहयोग की पेशकश की है।

एच० पी० एल० ने इमारती लकड़ी के लिए 7 से 10 घन मीटर क्षमता की सौर भट्टी स्थापित करने की पेश की है। । प्रत्येक भट्टी पर 1.3 से 1.6 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। ऐसी एक भट्टी की लागत तीन से चार वर्षों में वसूली जा सकती है।

खुली हवा में लकड़ी सुखाना एक आम तरीका है। यदि इस तरीके को अपनाया जाए तो आमतौर पर लकड़ी सुखाने में छः माह से पांच वर्ष तक लगते हैं। समय की बचत करने के लिए भाप संसाधित तकनीक को अपनाया गया। इस प्रणाली को काफी लम्बी अवधि तक अपनाया जाता रहा है। परन्तु इसके लिए महंगी मशीनों और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। तेल और कोयले जैसे ईंधन के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाने से यह तकनीक काफी महंगी है। इस तकनीक से केवल एक फायदा है कि इससे लकड़ी बहुत जल्दी सूखती है।

एच० पी० एल० की भट्टी वास्तव में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई भट्टी का एक और सुधरा हुआ रूप है। इस भट्टी की क्षमता 17 घन मीटर लकड़ी सुखाने की है। सामान्यतया 11 से 15.5 घन मीटर की लकड़ी को सुखाने के लिए गर्मियों में सात से दस दिन और सर्दियों में दस से 15 दिन लगते हैं। फरवरी, 1983 में स्थापित की गई इस भट्टी में 12 महीने की अवधि के दौरान 400 घन मीटर इमारती लकड़ी सुखाई गई जिसमें अधिकतर देवदार और सागवान की लकड़ी थी।

परम्परागत लकड़ी सुखाने के मुकाबले सौर भट्टी में लकड़ी सुखाने की लागत में 30 प्रतिशत की कमी आती है। इस भट्टी को चलाने के लिए केवल दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है।

ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान ने सौर ऊर्जा से इमारती लकड़ी सुखाने की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का परीक्षण 1975 से 1979 के बीच किया गया। इस तकनीक में यह पाया गया कि सौर भट्टी से लकड़ी सुखाना सस्ता पड़ता है और इसको चलाने के लिए जन-शक्ति की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें मशीनी त्रुटियां भी लगभग नहीं के बराबर हैं। एच० पी० एल० द्वारा इस विधि को संशोधित किया जा रहा है तथा इसमें और सुधार लाया जा रहा है।

जंगपुरा भट्टी की लम्बाई 14.26 मीटर है और इस पर शीशे की दो ढलवां छतें लगाई गई हैं। भट्टी के अन्दर का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कम नहीं रहता और बाहर का तापमान दोपहर में 45 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुसार आम स्थिति में ऐसी भट्टी में लगभग 15 दिनों में लकड़ी में आर्द्रता की मात्रा 40 प्रतिशत से कम हो कर 12 प्रतिशत रह जाती है। □

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।